लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १०, १९५६

५ दिसम्बर
(~~१४ नवम्बर~~ से २२ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
7-4-92
Fumigated
On 29.11.83
Parliament Library

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड १० में अंक १६ से ३० हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खण्ड १०, ५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५६]

पृष्ठ

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७२५–२६

एक सदस्य के स्थान की रिक्ति ७२६–२९

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७२९–४५

खण्ड २ से १६ और १ ७३९–४४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७४४

लोक-प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७४५–५१

खण्ड २, ३ और १ ... ७४९–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ७५१

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ७५१–५४

३१९ डाउन एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७५४–७२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ७७२

राज्य-सभा से सन्देश ७७२

दैनिक संक्षेपिका ७७३–७४

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर १९५६

डा० अम्बेडकर का निधन ७७५–७९

दैनिक संक्षेपिका ७८०

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७८१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें ७८२

राज्य-सभा से सन्देश ७८२

कार्य मंत्रणा समिति—

चवालीसवां प्रतिवेदन ७८२

सभा का कार्य ७८२–८४

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ७८४

वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ... ७८४–८०१

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन ८०१–०२

बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ८०२

प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८०२–११

खण्ड २ और १ ८१०

पारित करने का प्रस्ताव ८११

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ८११–१२

खण्ड २ और १ ८१२

पारित करने का प्रस्ताव ८१२

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८१२–२३

खण्ड २ से १२ और १ ... ८२०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८२०–२३

मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८२३–२५

दैनिक संक्षेपिका ८२६–२७

अंक १९—शनिवार, ८ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ ८२९–३०

सभा का कार्य ८३०–३१, ८७२

बाट तथा माप प्रमापीकरण विधयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ८३१–५३

खण्ड २ से १८ और १ तथा अनुसूची १ और २ ८५०–५३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५३

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८५३–६३

खण्ड २, ३ और १ ... ८६३

पारित करने का प्रस्ताव ... ८६३

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ८६३–७१

खण्ड २ से ६ और १ ... ८७१

पारित करने का प्रस्ताव ८७१

दैनिक संक्षेपिका ८७३

पृष्ठ

अंक २०—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८७५–७६
अनुपूरक अनुदानों की मांगें—रेलवे ८७६
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ८७६
कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ... ८७७
लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ८७७
भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ... ८७७–९२५
खण्ड २ से ३४, खण्ड १ और अनुसूचियां ९०४–२२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ९२२
विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में
विचार करने का प्रस्ताव ९२५–३१
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) अधिनियम, १९४७
के बारे में आधे घंटे की चर्चा ... ९३१–३४
दैनिक संक्षेपिका ९३५–३६

अंक २१—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९३७–३८
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९३८–६६
खण्ड २ से २९ और १ ... ९५९–६६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ९६६
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९६६–७९
सभा का कार्य ९७९–८०
केन्द्रीय कृषि महाविद्यालय के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९८०–८२
दैनिक संक्षेपिका ९८३

अंक २२—बुधवार, १२ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९८५–८६
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य ९८६–८८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
छियासठवां प्रतिवेदन ९८८
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ९८८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—
पैंतालीसवां प्रतिवेदन... ९८८–८९
सभा का कार्य ९८९–९०
वित्त (संख्या २) विधेयक और वित्त (संख्या ३) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ९९०–१०३७
वित्त (संख्या २) विधेयक ... १०२३–२७
खण्ड २ से ४ और १, अनुसूची १ और २ ... १०२३–२६
पारित करने का प्रस्ताव १०२६
वित्त (संख्या ३) विधेयक १०२८–३७
खण्ड २ से ८ और १ ... १०२७–३७
संशोधित रूप से पारित करने का प्रस्ताव १०३७
रूस और पूर्वी यूरोप को भेजे गये सांस्कृतिक शिल्पमण्डल के बारे में आधे घण्टे की चर्चा १०३७–४३
दैनिक संक्षेपिका १०४४–४५

अंक २३—गुरुवार, १३ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४७–४८
जानकारी के बारे में प्रश्न १०४८
जीवन बीमा निगम नियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १०४९–६३, १०७०
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०५३–९८
सभा का कार्य ... १०८८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन १०९८
दैनिक संक्षेपिका ... १०९९–११००

अंक २४—शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९५६

सभा का कार्य ११०१, ११४७–४८
राज्य-सभा से सन्देश ... ११०१
प्रेस परिषद् विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ११०१
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन और अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में याचिका ११०२
प्राक्कलन समिति
चौतीसवां प्रतिवेदन ११०२
केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११०२
प्रादेशिक परिषद् विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०२
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ... ११०३
हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ११०३–३८
खण्ड २ से ३० और १ १११७–३७
पारित करने का प्रस्ताव ११३८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
छियासठवां प्रतिवेदन ११३८
राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृतियां देने सम्बन्धी संकल्प ११३८–६०
नियम समिति—
छठा प्रतिवेदन ... ११५९
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी संकल्प ११६०–६१
दैनिक संक्षेपिका ११६२–६३

अंक २५—सोमवार, १७ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११६५–६७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ११६७
राज्य-सभा से संदेश ११६८
कार्य मंत्रणा समिति—
छियालीसवां प्रतिवेदन ... ११६७–६८
केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ११६८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६-५७ ... ... ११६९–१२१०
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनक्रम तथा अन्य सेवा की शर्तों के
निर्धारण के बारे में चर्चा १२१०–३४
दैनिक संक्षेपिका १२३५–३७

अंक २६—मंगलवार, १८ दिसम्बर, १९५६

आसाम में रुपया तेल समवाय की स्थापना के बारे में वक्तव्य १२३९–४०
सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२४०–४१
राज्य-सभा से सन्देश १२४१–४२
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
संशोधन सहित राज्य-सभा द्वारा वापस भेजे गये रूप में सभा-पटल
पर रखा गया १२४२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन ... १२४२
अनुपूरक अनुदानों की मांगें १९५६-५७ १२४२–५९
सभा का कार्य १२५१
विनियोग (संख्या ५) विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) १९५६-५७ और
आधिक्य अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५३-५४ १२५९–८६
विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक–पुरःस्थापित किया गया १२८६

पृष्ठ

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १२८६

लोक-प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १२८६–९६

खण्ड २ से ५ और १ ... १२९३–९५

पारित करने का प्रस्ताव १२९५

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकायें) नियमों सम्बन्धी प्रस्ताव १२९६–१३०४

दैनिक संक्षेपिका १३०५–०६

अंक २७—बुधवार, १९ दिसम्बर, १९५६

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना के सम्बन्ध में घोर उपेक्षा के आरोपों के बारे में वक्तव्य १३०७–०९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३०९

राज्य-सभा से सन्देश १३०९–१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सड़सठवां प्रतिवेदन १३१०

प्राक्कलन समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन ... १३१०

अनुपस्थिति की अनुमति १३१०–११

राजनीतिक दलों के लिये प्रसारण सुविधाओं के बारे में वक्तव्य १३१२–१३

विनियोग (संख्या ५) विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१३

विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक—

विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव १३१४

केरल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३१५–२८

खण्ड २, ३ और १ ... ... १३२७–२८

पारित करने का प्रस्ताव ... १३२८

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३२८–३०

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १३३०–५३

खण्ड २ और १ ... ... १३४६–५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५१

कार्य मंत्रणा समिति—

सैंतालीसवां प्रतिवेदन १३५२–५३

भारतीय रुई के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों के बारे में चर्चा १३५३–६०

दैनिक संक्षेपिका ... १३६१–६२

पृष्ठ

अंक २८---गुरुवार, २० दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १३६३–६४

राज्य-सभा से सन्देश १३६४

दिल्ली (भवन निर्माण नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १३६४

गन्दी बस्तियां (सुधार तथा हटाना) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया १४६४

दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ... १३६४

याचिका समिति
ग्यारहवां प्रतिवेदन १३६४

अन्य मंत्रियों की ओर से प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया १३६५

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ के बारे में वक्तव्य ... १३६५

कार्य मंत्रणा समिति—
सैंतालीसवां प्रतिवेदन ... १३६६

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३६६–७२
खण्ड २ और १ ... ... १३७०–७१
पारित करने का प्रस्ताव ... १३७२

प्रादेशिक परिषद् विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३७२–१४०९
खण्ड २ से ६६, अनुसूची और खण्ड १ ... १३८६–१४०८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... १४०८

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १४०९–२०

कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी उच्च शक्ति आयोग नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव १४२०–२८

दैनिक संक्षेपिका १४२९–३०

अंक २९—शुक्रवार, २१ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता कार्य १४३१–३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १४३२–३३

राज्य-सभा से सन्देश ... १४३३

अरियालूर ट्रेन दुर्घटना ... १४३३–३४

प्राक्कलन समिति—
पैंतीस से सैंतीस और चालीसवां प्रतिवेदन ... १४३४–३५

सभा का कार्य ... १४३५

	पृष्ठ
अनुपस्थिति की अनुमति	१४३५–३६
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१४३६–७२
खण्ड २ से १४, अनुसूची और खण्ड १	१४५३–७१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१४७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सड़सठवां प्रतिवेदन	१४७२
वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों के गृह विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	
मोटर परिवहन श्रमिक विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१४७२–८०
नियम समिति	
सातवां प्रतिवेदन	१४८०
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—(धारा ८७ख को निकालना)	
विचार करने का प्रस्ताव ...	१४८०–९१
दैनिक संक्षेपिका	१४९२–९३

अंक ३०—शनिवार, २२ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति	१४९५–९६
केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना	१४९६–९८
सभा-पटल पर रखे गय पत्र ...	१४९८–९९
राज्य-सभा से सन्देश ...	१४९९–१५०३, १५८१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५०३, १५८१
प्राक्कलन समिति	
उन्तालीसवीं और इकतालीसवें से तैंतालीसवां प्रतिवेदन	१५०४
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
छठा प्रतिवेदन	१५०४
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
केरल में उचित मूल्य की दुकानें	१५०४–०५
नियम समिति—	
सातवां प्रतिवेदन ...	१५०५
एक सदस्य द्वारा निजी स्पष्टीकरण ...	१५०५–०६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र के सम्बन्ध में	१५०६
सभा का कार्य ...	१५०६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन स्वीकृत हुआ ...	१५०६–१५
दिल्ली (भवन-निर्माण-कार्य का नियंत्रण) जारी रखना विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ...	१५१५–२३
खण्ड २ और १ ...	१५२३
पारित करने का प्रस्ताव	१५२३

पृष्ठ

गन्दी बस्तियां (सुधार और सफाई) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १५२३–५८
खण्ड २ से ४०, अनुसूची और खण्ड १ १५५७–५८
पारित करने का प्रस्ताव ... १५५८
दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... १५५८–७९
खण्ड २ से ५ और १ १५७९
पारित करने का प्रस्ताव १५७९
आश्वासन समिति—
तीसरा प्रतिवेदन ... १५६२
एक सदस्य का त्यागपत्र १५६२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव ... १५७९–८१
संघ लोक-सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १५८१–९०
दैनिक संक्षेपिका ... १५९१–९४
चौदहवें सत्र का संक्षिप्त वृत्तान्त ... १५९५–९६

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शनिवार, ८ दिसम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

स्थगन प्रस्ताव

बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री रा० न० सिंह ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रस्ताव बुद्ध जयन्ती समिति, सारनाथ के बारे में है।

†**श्री रा० न० सिंह** (जिला—गाजीपुर, पूर्व व जिला बलिया—दक्षिण-पश्चिम) : हमारी केन्द्रीय सरकार इस पर लाखों रुपया व्यय करती है। वहां पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से बुद्ध जयन्ती के सम्बन्ध में समिति बनी हुई है वह कोई कार्य नहीं कर रही है। इसलिये महाबोधि सोसाइटी के अधिष्ठाता ने उसकी समिति का बायकाट किया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की समिति ने अच्छी तरह से कार्य नहीं किया है इसलिये उन्होंने उसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि यह जो जनता के रुपये का दुरुपयोग हो रहा है उस पर विचार करने के लिये हाउस को कुछ समय दिया जाये।

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : जहां तक हमें पता लगा है उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई बुद्ध जयन्ती समिति नहीं बनाई है। कल जब हमें इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली, हमने बनारस के डिवीजनल आयुक्त श्री शिवेश्वरकर से पता लगाया और उनसे जानकारी प्राप्त की। आयुक्त ने हमें बताया कि सारनाथ में कोई सरकारी बुद्ध जयन्ती समिति नहीं है। पिछले कुछ महीनों में विभागीय पदाधिकारियों की बैठकें हुई हैं, जिनमें उन्होंने सारनाथ में होने वाले विभिन्न सुधारों की योजनाओं का समन्वय किया है और कार्य की प्रगति पर विचार किया है। आयुक्त इन बैठकों का अध्यक्ष था और इन बैठकों में महाबोधी सोसाइटी के मंत्री को भी बुलाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी तौर पर कोई समिति नहीं बनाई गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[डा० म० मो० दास]

पिछली बैठक कुछ दिन पहले हुई। महाबोधी संस्था के मंत्री इस बैठक में नहीं आये। इसके अतिरिक्त तथा समाचारपत्र की खबर के अतिरिक्त, आयुक्त को इस कथित बहिष्कार का कोई ज्ञान नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या समिति केन्द्रीय सरकार ने बनाई है ?

†**डा० म० मो० दास** : नहीं, श्रीमान्। ऐसी कोई सरकारी समिति नहीं है। न तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई समिति बनाई है और न केन्द्रीय सरकार ने कोई समिति बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न पदाधिकारी आयुक्त के सभापतित्व में कई बार कार्य की प्रगति पर विचार करते थे। इस बैठक में महाबोधी संस्था के मंत्री को भी बुलाया गया था। केन्द्रीय सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्सव के प्रभारी पदाधिकारी हैं। आयुक्त इत्यादि इसके प्रभारी हैं।

†**डा० म० मो० दास** : इस अवसर पर यात्रियों को सुविधायें देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने कई योजनायें आरम्भ की हैं। उदाहरण के लिये होस्टलों का निर्माण, जल संभरण योजनायें, बिजली का प्रबन्ध आदि किया जा रहा है। इन सब कामों का समन्वय करने के लिये आयुक्त सभी विभागों के पदाधिकारियों की बैठक बुला लेता है। सरकारी समिति—जैसा कि स्थगन प्रस्ताव में कहा गया है—कोई नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : केन्द्रीय सरकार का उस पर क्या नियन्त्रण है ?

†**डा० म० मो० दास** : केन्द्रीय सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है केवल स्मारक केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में है। हमने वहां स्मारक की मरम्मत कराई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी कोई समिति नहीं है।

†**डा० राम सुभग सिंह** (शाहाबाद—दक्षिण): यह मामला महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों अर्थात सारनाथ, सांची आदि में यह हिदायतें दी गई हैं कि यात्रियों की सुविधाओं के लिये होस्टल आदि बनाये जायें। भारत सरकार भी इस पर विचार कर रही है। मैं समझता हूं कि महाबोधी संस्था के मंत्री की भी सलाह ली जानी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : चाहे कोई गैर-सरकारी समिति न हो, किन्तु यह प्रतीत होता है कि एक सरकारी समिति है जिसका अध्यक्ष आयुक्त है। वह सभी कामों का समन्वय करता है। सारनाथ तथा बनारस बौद्धों के पवित्र तीर्थ हैं। वहां बहुत यात्री आते हैं। उत्सव का सामान्य प्रबन्ध केन्द्र का है। एक करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि ऐसी समिति को जिसका सभापतीत्व सरकारी अफसर करे, ऐसी शिकायतों का अवसर नहीं देना चाहिये। उसे महाबोधी संस्था से सहयोग करत हुए काम करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सब तथ्य सभा के सामने रखें। यदि वास्तव म कोई बात है तो स्थानीय सरकार को बतानी चाहिये। इस स्थगन प्रस्ताव की आज्ञा नहीं दी जा सकती। माननीय मंत्री यथाशीघ्र एक वक्तव्य देंगें। जानकारी सभा-पटल पर रखी जायेगी।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान्, १० दिसम्बर से आरम्भ होने वाले सप्ताह से सरकारी कार्य का क्रम निम्न प्रकार से होगा :

१. आज क क्रम पत्र से इस प्रकार का कोई ऐसा विधेयक जिस पर अंशतः चर्चा हुई है।

२. भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में।

---

†मूल अंग्रेजी में।

३. आज के क्रम पत्र में असमाप्त कोई कार्य ।

४. वित्त (संख्या २) विधेयक तथा वित्त (संख्या ३) विधेयक पर अग्रेतर विचार ।

५. प्रवर समिति द्वारा भेजे गये रूप में विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक ।

६. समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक ।

७. जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों तथा वेतन स्तरों के निर्धारण के बारे में नियम २१२ के अन्तर्गत चर्चा ।

८. जीवन बीमा निगम नियम, १९५६ में जो २० नवम्बर, १९५६ को दोबारा सभा-पटल पर रखे गये थे---रूपभेद करने के प्रस्तावों पर विचार ।

९. राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण व्यय विधेयक ।

एक विधेयक, अर्थात, लोक प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक और हो सकता है जिसे, यदि समय मिला तो, सम्मिलित कर लिया जायेगा । आशा है कि यह विधेयक अगले सप्ताह पुरःस्थापित किया जायेगा ।

बाट तथा माप प्रमापीकरण विधेयक

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दशमिक प्रणाली पर आधारित बाट तथा मापों के माप स्थापित करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

अब मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा---क्योंकि जब विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा गया था तब सभा में इस पर व्यापक चर्चा हुई थी और उसका परिणाम यह था कि समस्त सभा आतुर थी कि इस अनियमित स्थिति से शीघ्र ही निकला जाये और देश में यथाशीघ्र बाटों तथा मापों में अन्तर्राष्ट्रीय दशमिक प्रणाली लागू की जाये । संयुक्त समिति ने विधेयक पर बड़े ध्यान से विचार किया है और कुछ परिवर्तन भी किये हैं जो कि विधेयक में कर दिये गये हैं । परिवर्तनों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में पर्याप्त व्याख्या की गई है इसलिये मुझे उनके सम्बन्ध में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं । कुछ विमति टिप्पण भी हैं ।

संयुक्त समिति के कुछ सदस्यों की राय यह थी कि १० वर्ष का समय जो इस परिवर्तन के लिये रखा गया है, बहुत लम्बा है और इसे कम किया जाये क्योंकि जितनी देर होती जाती है उतनी ही उलझनें रास्ते में आती हैं । मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हम भी समय को कम से कम करने के इच्छुक हैं । विधेयक में १० वर्ष की व्यवस्था है । सभी पहलुओं पर विचार करके अर्थात प्रशासन व्यवस्था पर ध्यान करके हम समझते हैं कि इस समय जो अवधि हमने रखी है वह अधिकतम है, न्यूनतम नहीं, अर्थात् अधिक से अधिक उसी अवधि में यह परिवर्तन कर दिया जायगा । हमें प्रसन्नता होगी यदि हम कम समय में अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें । विधेयक में रखी गयी अवधि अधिकतम है न्यूनतम नहीं । यदि हम यह काम ५ या ७ वर्ष में कर सके तो हमें प्रसन्नता होगी ।

कुछ सदस्यों ने अपने टिप्पणों में कहा है कि बाटों तथा मापों के हिन्दी शब्द भी रखे जायें । संयुक्त समिति के एक सदस्य को छोड़कर सभी इस बात पर सहमत हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय नाम स्वीकार कर लिये जायें । सुझाव यह दिया गया है कि हमें हिन्दी तथा अन्तर्राष्ट्रीय नामों को स्वीकार करना चाहिये । हमारे देश में अन्तर्राष्ट्रीय नाम ही ठीक रहेंगे---हिन्दी तथा विभिन्न भाषाओं के नामों के बनाने में

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री कानूनगो]

कठिनाई होगी। इससे होने वाली गड़बड़ के अतिरिक्त किसी भाषा में से इनके ऐसे पर्यायवाची शब्द ढूंढने असम्भव हो जायेंगे जो सभी को या काफ़ी अधिक लोगों को स्वीकार हों। दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय नामों का उच्चारण इतना आसान है कि यह आसानी से भारतीय भाषाओं में खप जायेगा। इस पर प्रयोग किया गया है। केवल चीन को छोड़कर—जहां भाषा चित्रणात्मक है, ध्वन्यात्मक नहीं है—संसार के सभी देशों में अन्तर्राष्ट्रीय नाम स्वीकार किये गये हैं।

इस समय विधेयक पारित करने का महत्व इसलिये है कि जब तक हम संसद् से संविहित रूप से मंजूरी नहीं लेते, तब तक आवश्यक कार्यवाही तीव्र गति से नहीं की जा सकती। इसलिये सभा को चाहिये कि इसे शीघ्र ही स्वीकार करे। हमारा उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब यह विधेयक स्वीकार हो जायेगा।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। जो कोई और शंका होगी उसका उत्तर बाद में दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। वास्तव में बाटों तथा मापों का एक मान होना बहुत जरूरी है। बार-बार इस सभा में इसके बारे में राय प्रकट की गई है। सभा में इस सम्बन्ध में बहुत बार विचार हुआ है। मैं यह चाहता हूं कि विधेयक में रखी गई अवधि को कम किया जाये।

माननीय मंत्री ने कहा है कि दस वर्ष की अवधि अधिकतम है और प्रयास किया जायेगा कि इसे शीघ्र ही लागू किया जाये। यदि ऐसी बात है तो मंत्री महोदय को अवधि घटाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

योजना की दृष्टि से भी जितना जल्दी हम इन बाटों तथा मापों को लागू कर सकेंगे उतना ही अच्छा होगा। यह मैं इस कारण से कह रहा हूं कि इससे सरकारी महकमों में काम के बारे में ढील आ जाती है। हमें संयुक्त समिति में कुछ पत्र मिले थे जिनमें गत कई वर्षों की कारगुजारी लिखी हुई थी। उससे मेरे मन में एक धारणा बनी—हो सकता है वह ठीक न हो—कि कुछ समय पूर्व कुछ विभागों की ओर से कुछ ढिलाई हुई। दशमिक प्रणाली के आधार पर बाटों तथा मापों का मान स्थापित करने का प्रश्न १९४९ से लम्बित है। हमें जो दस्तावेज दिये गये हैं, उनसे ऐसा ज्ञात होता है कि इस विधेयक पर जितनी शीघ्रता से कार्य होना चाहिये उतनी शीघ्रता से नहीं किया जा रहा है। अभी हमें बताया गया है कि रेलवे मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय इसको लागू करने के लिये अधिक उत्साही हैं। इस सम्बन्ध में जो कठिनाइयां हैं वे दूर हो गयी हैं। १९४९ में एक विशेषज्ञ समिति ने कहा था कि इस प्रकार के कार्य-क्रम के लिये १० से १३ वर्ष का समय लगेगा। १९४९ से अब १९५६ में हमारे विचार अधिक परिवर्तित हो गये हैं और अब हम अधिक तेजी से कार्य कर सकते हैं।

मैं मानता हूं कि पांच वर्ष की अवधि में इस विधेयक को लागू करना संभव नहीं होगा परन्तु दस वर्ष के स्थान पर यदि हम पांच वर्ष का लक्ष्य रखें तो उससे निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि दस वर्ष की अवधि को पांच वर्ष कर दिया जाये। यदि इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां आती हैं तो सरकार उन्हें अगली संसद् के सामने रख सकती है। मुझे आशा है कि उस समय आवश्यकता होने पर समय बढ़ाया जा सकता है। इसलिये इस समय लक्ष्य पांच वर्ष ही रखना चाहिये। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री ऐसा कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फ्रान्स ने दशमिक प्रणाली को क्रान्ति के समय लागू किया था। तभी से लगभग समस्त विश्व ने इसको अंगीकार कर लिया है। इसलिये यदि हम देश में कोई

†मूल अंग्रेजी में।

मूलभूत परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिये, जिससे यह ज्ञात हो कि परिवर्तन हो रहा है। हमें स्कूलों आदि में इसका प्रचार करना चाहिये। जब वहां दशमिक प्रणाली के परिवर्तनों को बताया जायेगा तो नयी-नयी चीज होने के कारण विद्यार्थी इसे शीघ्र याद करेंगे तथा समझेंगे। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को ऐसी फिल्में बनानी चाहिये जिनमें इसका स्पष्टीकरण किया जाय। इसलिये दशमलव मुद्रा प्रणाली-तथा बाट तथा माप मान लागू करने के साथ प्रचार कार्य भी आवश्यक होता है।

मैं यही बताना चाहता हूं कि दशमिक पद्धति के बारे में भी देश के कुछ व्यक्ति बड़े उत्साही हैं। उदाहरणतः भारतीय दशमलव समाज, कलकत्ता ने मुझे बताया है कि उसके सदस्य स्वयंसेवकों के रूप में सरकार के किसी भी संगठन में कार्य करने को तैयार हैं।

मेरा विचार है कि दशमलव मुद्रा प्रणाली को स्वीकार कर लेने के पश्चात् इस सभा में, इस सम्बन्ध में कुछ कहना शेष नहीं रह जाता है। परन्तु देश की जनता को इस सम्बन्ध में बताने के लिये इसका प्रचार करना बहुत आवश्यक है।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह बतायें कि इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय की सहायता लेने के लिये उन्होंने क्या प्रयत्न किये। शिक्षा मंत्रालय इससे बहुत सम्बन्धित है। स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकें इसके आधार पर बनानी चाहियें। उन्हें सर्वोत्तम पुस्तक के लिये पुरस्कार निश्चित करना चाहिये। इस प्रकार का प्रचार आवश्यक है। सरकार को शिक्षा मंत्रालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, विभिन्न विभागों आदि के द्वारा प्रचार करना चाहिये जिससे कार्य शीघ्रता से किया जा सके।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के विमति टिप्पण में, मैंने बताया है कि ईरान, सीरिया ने दशमिक प्रणाली को एकदम लागू कर दिया जबकि फिलिपाइन को दो वर्ष तथा चेकोस्लोवाकिया को चार वर्ष लगे। रूस को इस प्रणाली को लागू करने में नौ वर्ष लगे जबकि वह विश्व का विशालतम देश है और वहां इस अवधि में अकाल भी पड़ा और गृह-युद्ध भी हुआ। इन सब कठिनाइयों के कारण रूसी इस प्रणाली को नौ वर्ष में लागू कर सके। मेरी मंत्री महोदय से अपील है कि यह अवधि पांच वर्ष कर दी जाये।

मंत्री महोदय ने हमें बताया कि इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। परन्तु उन्हें यह भी बताना चाहिये कि इसको लागू करने में कोई देरी नहीं होगी क्योंकि वह उस दल विशेष के सदस्य हैं जो सभी राज्यों में सत्तारूढ़ है। इसके अतिरिक्त हमें संविधान में भी कुछ परिवर्तन कर देना चाहिये जिससे इस प्रकार के मामलों में केन्द्र को लागू करने के अधिकार मिल जायें। हमारी आयोजित अर्थ-व्यवस्था है तथा उसकी सफलता के लिये कुछ अधिकार केन्द्र को दे देने चाहियें। परन्तु इस समय संविधान में परिवर्तन आवश्यक नहीं है। मंत्री महोदय को हमें बताना चाहिये कि राज्यों में क्या कार्यवाही की जा रही है।

सरकार ने हमें जो सामग्री दी है उससे पता चलता है कि राज्य सरकारें इसके पक्ष में हैं परन्तु उन्हें अभी तक उपकरण आदि नहीं भेजे गये हैं। इसके अतिरिक्त इसको शीघ्रता से लागू करने के लिये न तो कर्मचारी ही दिये गये हैं तथा न ही कार्यालय ही बनाये गये हैं।

हमें बताया गया है इस सम्बन्ध में बम्बई सबसे अच्छी तरह संगठित राज्य है। वहां के अनुभव से यह पता चलता है कि यदि विभिन्न राज्यों में बाटों तथा मापों के मान स्थापित करने के लिये एक संगठन बनाया जाय तो किसी को कोई हानि नहीं होगी। परन्तु प्रतिवेदन में यह दिया गया है कि इसको लागू करने से बम्बई राज्य को २ लाख रुपये की हानि होती है। मेरा विचार है कि जब बम्बई राज्य में एक

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

ऐसा संगठन होने से इसको प्रभावोत्पादक रूप में लागू किया जा सकता है तब पश्चिमी बंगाल में भी ऐसा संगठन बनाया जा सकता है । मेरी इच्छा है कि सभी राज्य सरकारों को इसको लागू करने के लिये, संगठन बनाने चाहियें, जिसमें कर्मचारी यंत्र आदि की व्यवस्था भी उन्हें स्वयं करनी चाहिये । उन्हें इस प्रकार के आदेश देने चाहियें कि प्रविधिक विशेषज्ञों आदि की सेवायें ले सकें तथा लागू करने के लिये उचित सामग्री तैयार कर सकें ।

संचार, शिक्षा, रेलवे मंत्रालयों के अतिरिक्त वाणिज्य तथा प्रतिरक्षा मंत्रालयों की भी बड़ी जिम्मेदारी है । मैं चाहता हूं कि उत्तर देते समय माननीय मंत्री यह बतायें कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय बाटों आदि को बनाने के लिये क्या कार्यवाही कर रहा है । उन्हें इनकी योजनायें तैयार करके प्रस्तुत करनी चाहियें ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के आयुध विभाग में, कुशल कर्मचारियों की छंटनी न करके, उनकी सेवायें इनको बनाने के लिये लेनी चाहियें । इसके अतिरिक्त लोहे के छोटे-छोटे कारख़ाने जो कभी-कभी बन्द पड़े रहते हैं उनको इन बाटों के बनाने का काम सौंपना चाहिये ।

अब मैं इन बाटों तथा मापों के नामकरण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से सहमत हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय नामों को ही ले लेना चाहिये । राज्य सरकारों तथा विशेषज्ञों का भी यही मत है । परन्तु सभा के कुछ सदस्य इसके पक्ष में नहीं हैं । मैंने भी इस पर विचार किया है कि हम अपनी भाषा में प्रचलित नामों को ही क्यों न रखें । परन्तु दक्षिण भारत के सदस्यों ने अपना मत व्यक्त किया है तथा मेरा भी विचार है कि कुछ नाम इस प्रकार के हैं जो उत्तर में प्रचलित हैं तथा दक्षिण में प्रचलित नहीं हैं ।

इसके अतिरिक्त 'मन' तथा 'सेर' भी क्रमशः कहीं-कहीं २८० तोले से ८,३२० तोले तथा ८५ से १६० तोले तक हैं । हमें इसीलिये छान-बीन करनी है क्योंकि मान 'मन' ३,२०० तोला तथा मान 'सेर ८० तोले का होता है । अन्तर्राष्ट्रीय नाम बड़े सीधे-साधे हैं जो हमें अपनी भाषा में स्वीकार कर लेने चाहियें । कितने ही देशों में ऐसा किया गया है । चर्चा में बताया भी गया है कि जब हम परिवर्तन करना ही चाहते हैं तब पूर्णतः परिवर्तन होना चाहिये । इसमें भी कोई हानि नहीं है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय नामों को स्वीकार कर लें ।

मुझे प्रसन्नता है कि अन्तर्राष्ट्रीय नाम 'सैलेसिअस' को माननीय मंत्री ने स्वीकार कर लिया है ।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमने, 'सैकेन्ड', 'एम्पीयर', अथवा 'कैन्डेला' शब्दों को स्वीकार कर लिया है तब खण्ड ५, ६ तथा ८ व्यर्थ हैं क्योंकि इन खण्डों में इन शब्दों की परिभाषा की गई है ।

'सैकेन्ड' की परिभाषा के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में दिया है कि इसकी परिभाषा देनी चाहिये । परन्तु १९५१ में ब्रिटेन की बाट तथा माप विधि सम्बन्धी समिति ने कहा था कि 'सैकेन्ड' की कोई परिभाषा ऐसी नहीं है जो अन्तर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकृत हो । समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि ऐसी घड़ियां बनाई गई हैं जो भूमि की चाल की अनियमितताओं को रोकने योग्य हैं । प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि इस प्रकार की परिभाषायें संसद् के अधिनियमों के लिये उपयोगी नहीं हैं ।

संसद् के इस अधिनियम में हम कुछ परिभाषायें रखने जा रहे हैं । यदि इस प्रकार की टेक्नीकल परिभाषायें रखना वांछनीय हो तो मेरे विचार से अधिक अच्छी प्रक्रिया यह होगी कि परिभाषायें बनाने का काम एक वैज्ञानिक आयोग को सौंप दिया जाये जो स्थायी रूप से वाणिज्य मंत्रालय या प्राकृतिक

संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय से संलग्न होगा; और वह आयोग संसद् को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और केवल उन प्रतिवेदनों के आधार पर ही मंत्रालय समय-समय पर कुछ परिवर्तन कर सकेगा जो देश को और संसद् को तदनुसार सूचित किये जायेंगे । अतः मेरा यह निवेदन है कि टेक्नीकल शब्दों की परिभाषायें बाद में एक अनुसूची में रखी जायें और हम माननीय मंत्री से कहें कि वे एक वैज्ञानिक आयोग नियुक्त करें जिसे यह काम सौंपा जाय । ठीक ऐसा ही सुझाव इंग्लैंड में मई, १९५१ में बाट और माप विधान सम्बन्धी समिति ने दिया था । यदि हम इस विषय का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करें तो हमें अपने विधान से ऐसी अनेक परिभाषायें निकाल देनी होंगी जिनके बारे में हम अपने दृष्टिकोण नहीं दे सकते किन्तु यह निश्चित है कि बाट और माप के प्रमापीकरण के लिये आज उनका उपयोग किया जा रहा है । अतः मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस विषय पर ध्यान दें । आशा है कि वे हमें इस सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें बतायेंगे, जिससे हम आज से कुछ अधिक समझ सकें ।

आगे मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस विषय में यथासंभव शीघ्रता करे । माननीय मंत्री ने वचन दिया था कि इस विधान का प्रचार करने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जायगा और मैं चाहता हूं कि सरकार वह वचन पूरा करे । उस कार्य के लिये जनता की सेवायें, स्वयंसेवकों, जैसे भारतीय दशमलव संस्था के सदस्यों की सेवायें काम में लायी जा सकती हैं । इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, प्राकृतिक, संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय एक योजना तैयार करे और संसद् को उस योजना की जानकारी दी जाये ताकि वह समझ सके कि इस विषय में क्या हो रहा है । यह एक ऐसा विषय है जिसकी ओर संसद् को अवश्य ध्यान देना चाहिये ।

आशा है और मैं चाहता हूं कि यह वर्ष समाप्त होने के पहले ही यह विधान अधिनियम बन जाये । किन्तु उसके बाद और कठिनाइयां आयेंगी । राज्य उसे कार्यान्वित करने में कुछ समय लेंगे । इसलिये सरकार सम्बन्धित मंत्रालय से यह कहे कि वह देश को बताये कि अभी क्या किया जा रहा है । फिर भी यह प्रश्न उठाया जायगा कि यह एक ऐसा परिवर्तन होगा जिससे कि बहुत सी चीजें जिसका हमें अभ्यास पड़ गया है, बदल जायेंगी और इसलिये ऐसे परिवर्तन का हमें विरोध करना चाहिये । यह कोई उत्तर नहीं है । हम सभी सहमत हैं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था का यथाशीघ्र विकास होना चाहिये किन्तु यदि हम मीटर पद्धति अपनाने में विलम्ब करेंगे तो उस विकास में बाधा और रुकावट होगी । अतः इस प्रकार का विधान कार्यान्वित करने के लिये यथाशीघ्र और अधिक कार्यक्षमता से सरकार के सभी साधन और जनता की सेवायें काम में लायी जायें । यदि मंत्री महोदय इस आशय का आश्वासन हमें दें तभी हमें प्रसन्नता होगी और हम इस विधान का स्वागत करेंगे । मैं चाहता हूं कि दोनों सदनों में यह विधेयक शीघ्र पारित हो जाये और उसे कार्यान्वित करने के लिये सरकार प्रचार की प्रत्येक कार्यवाही करे जिसके बिना इस प्रकार के विधान की सफलता निश्चित नहीं हो सकती ।

श्री हेडा (निजामाबाद) : अध्यक्ष महोदय, दशमलव पद्धति के लाभ क्या हैं इस सम्बन्ध में आज कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । इस पद्धति को हमने स्वीकार किया है और उसी के अनुसार सिक्कों के बारे में हमने एक बिल अभी थोड़े दिन हुए पास किया है अतः उसके बाद यह लाज़िमी था कि इस प्रकार का बिल सदन के सामने आता । मुझे खुशी है कि वह बिल आज पेश हुआ है और ज्वाइंट कमेटी (संयुक्त समिति) ने जो उसके ऊपर रिपोर्ट दी है वह रिपोर्ट भी बहुत अच्छी है और उससे यह सिद्ध होता है कि ज्वाइंट कमेटी ने इसके ऊपर काफ़ी खोजबीन की थी और काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह रिपोर्ट पेश हुई है । इस रिपोर्ट के अन्दर अगर कहीं किसी को कोई मतभेद हो सकता है तो कुछ बुनियादी चीज़ों के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है वरना मैं समझता हूं कि विस्तार के बारे में मतभेदों की कोई विशेष गुंजाइश नहीं है ।

[श्री हेडा]

मिनिस्टर महोदय ने अपने भाषण में यह फ़रमाया था कि अन्तर्राष्ट्रीय शब्द इतने आसान और सरल हैं कि उनको आसानी से हिन्दुस्तानी भाषाओं में और विशेष कर हिन्दी के अन्दर अपनाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि उनका अभिप्राय: ग्रैम और मीटर इन शब्दों से है। निस्सन्देह ग्रैम और मीटर विदेशी शब्द होने के बावजूद उच्चारण में काफ़ी सरल हैं और इस लिहाज़ से वे हमारे पास आ सकते हैं और हमारी भाषाओं के वे अंग बन सकते हैं और उनमें घुल मिल जा सकते हैं परन्तु मुश्किल तब आ पड़ती है जब उनके पीछे हम और शब्द लगाना शुरू कर देते हैं और तब यह शब्द जैसे आसान अकेले मालूम होते हैं वैसे वे आसान शब्द नहीं रह पाते हैं और वे शब्द बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अब यदि डैकामीटर, हैक्टोमीटर और किलोमीटर यह शब्द अगर हिन्दी में या दूसरी भाषाओं में लें तो काफ़ी मुश्किल हो जायगी। मीटर शब्द का उच्चारण तो सरल होता है लेकिन उसके साथ हैक्टो या डैका लगायें तो उससे काफ़ी मुश्किल होने की सम्भावना है। फिर सवाल यह है कि जब हमारे पास कुछ शब्द ऐसे हैं जो काफ़ी प्रचलित हो चुके हैं और वे शब्द लोगों के दिमाग़ों में घर कर चुके हैं और लोगों ने उन्हें अपनाया हुआ है और लोग उनके आदी हो गये हैं तो ऐसे शब्दों को क्यों हम त्याग दें। अब इन दो शब्दों मीटर और किलोग्राम के लिये हमारे यहां गज़ और सेर यह दो बहुत काफ़ी अच्छे और प्रचलित शब्द हैं और मैं समझता हूं कि यह दोनों शब्द काफ़ी आसानी से इस्तेमाल किये जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि यह शब्द केवल हिन्दी में ही प्रचलित हैं और दूसरी भाषाओं में यह शब्द प्रचलित नहीं हैं तो दूसरी भाषाओं में इनके पर्याय जो अब प्रचलित हैं, वे शब्द चल सकेंगे।

संसद् की एक कमेटी बैठी हुई है जो कि अंग्रेज़ी के विभिन्न हिन्दी इक्वैलेंट्स का (पर्यायवाची शब्दों) का निर्माण कर रही है और वह कानूनी, वित्त सम्बन्धी और टेकनीकल सभी प्रकार के अंग्रेज़ी शब्दों के लिये हिन्दी शब्दों का निर्माण कर रही है और मैं समझता हूं कि जहां वह देश भर के लिये शब्दों का निर्माण कर रही है वहां वह इस काम को भी हाथ में ले ले और इस सम्बन्ध में शब्द सुझाये और मैं समझता हूं कि ऐसा होने से हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। बावजूद इसके कि मीटर और ग्रैम यह दो अन्तर्राष्ट्रीय शब्द काफ़ी आसान और प्रचलित हैं लेकिन उनके आगे जो दूसरे शब्द लगाते हैं उनकी वजह से क्लिष्टता आ जाती है और जिसका कि नतीजा यह होता है कि वह हिन्दुस्तान की किसी भाषा के अन्दर वे पहले के शब्द बैठ नहीं पाते, इस लिहाज़ से मैं इन शब्दों को पसन्द नहीं करता। मैं सरकार से और विशेष करके अपने मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इसके ऊपर गौर से विचार करें और सोचते समय केवल पढ़े लिखे लोगों विशेषकर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के समाज को ही अपने सामने न रखें बल्कि उस सारी जनता को सामने रखें जिनकी कि नुमायन्दगी (प्रतिनिधित्व) हम यहां करने का दावा करते हैं और जिनकी कि शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचा है।

इसके बाद एक और चीज़ जिसकी कि तरफ़ मुझे ध्यान दिलाना है वह यह है कि सिक्कों के क़ानून को पास कर इस क़ानून को और पास कर देने भर से उनका सब काम ख़त्म हो जायेगा ऐसा नहीं है। वस्तुत: बात यह नहीं है और हमें सतर्क रहना है और जाग्रत रहना है और दशमलव सिद्धान्त को अगर हमने माना है तो उसको हम जहाँ-जहाँ भी ले जा सकते हैं वहाँ-वहाँ हमें ले जाने की आवश्यकता है। हिन्दी की गिनती में दशमलव पद्धति होने के बावजूद उनके उच्चारण में या उनके जो आंकड़े अलग-अलग दिये गये हैं वे ठीक नहीं हैं। निन्यानवे के चक्कर में कभी-कभी आना पड़ जाता है। नियास्सी के बारे में कभी-कभी काफ़ी भ्रम हो जाता है। नियास्सी के माने एक कम नव्वे के हैं लेकिन कभी-कभी यह समझना मुश्किल हो जाता है कि एक कम नव्वे है या एक कम अस्सी है। इसी तरह उन्तालिस और उन्यास यह दो शब्द भी गड़बड़ पैदा करते हैं। हमारी दक्षिण की भाषाओं में कन्नड़, तमिल, तेलगू और मलयालम आदि में इस बारे में बड़े स्पष्ट शब्द हैं और वे इस प्रकार के शब्द हैं जैसे कि अंग्रेज़ी के पर्याय होते हैं जैसे कि अंग्रेज़ी में ८१, ८२, ८३, ८४,

८५, ८६, ८७, ८८, ८९ होते हैं अर्थात् ८० को बुनियाद बना कर उसके बाद १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ रखते जाते हैं। दक्षिण की कन्नड़, तेलगू, तामिल और मलयालम इन भाषाओं के अन्दर इस प्रकार के शब्द मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि उस पद्धति को हिन्दी में भी प्रचलित करा जाय और उस ओर ध्यान देना चाहिये अन्यथा दशमलव पद्धति को जो हमने क़बूल किया है उसको आगे नहीं ले जा सकते हैं। मैं उन लोगों से जिनकी कि मातृ भाषा हिन्दी है, अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार की वह भाषा बचपन से बोलते आये हैं, उस भाषा में ज़रा भी परिवर्तन न करते हुए और उसको जैसा का तैसा रखते हुए, उसी को राष्ट्र भाषा माना जाय, इस प्रकार की उन्हें कोशिश नहीं करनी चाहिये और उन्हें अपनी भाषा को बराबर समृद्ध करते जाना चाहिये और उसके अन्दर सुधार करते रहने की बराबर कोशिश करनी चाहिये ।

अभी कुछ ही दिन पहले जब श्री चाऊ एन लाई रामलीला मैदान में भाषण दे रहे थे तो उनके चीनी भाषण का अनुवाद हिन्दी में हो रहा था और उस वक्त एक बड़े मज़े की चीज़ हो गई। एक शब्द का उन्होंने अनुवाद किया था "गोष्ठि" और चूंकि दक्षिण से जो लोग आते हैं उनको हिन्दी पढ़ते वक्त "ह्रस्व इ" के बाद बाक़ी अक्षर को अलग करके पढ़ने की आदत सी हो जाती है इसलिये मेरे ख़्याल से "गोष्ठी" "गोइष्ठ" पढ़ा गया और मैं समझता हूं कि उन सज्जन महोदय ने भी इसलिये वैसा किया था। तो मेरा कहना है कि जैसे विनोबा भावे ने अपनी लिपि निकाली, काका कालेलक़र ने अपनी लिपि तैयार की और उन्होंने अपनी लिपि को देवनागरी कहा और उन्होंने अपनी लिपि में ह्रस्व इ को अक्षर के बाद लिखने की बात सोची है, मैं समझता हूं कि यह सारे सुधार ऐसे हैं जिनको कि हमें विचार करने की अति आवश्यकता है ।

अन्त में मैं एक बात अवधि के सम्बन्ध में अर्ज़ करना चाहता हूं। इस बिल के अन्दर यह कहा गया है कि दस वर्ष के दरमियान इस बात की कोशिश की जायगी कि दशमलव पद्धति से यह जो वज़न और नापने के हमारे साधन हैं उनका अवलम्बन सारे देश भर में किया जायगा और आवश्यकता महसूस होने पर तीन वर्ष की अवधि में इज़ाफ़ा (वृद्धि) हो सकता है। मैं समझता हूं कि जैसे और अन्य मित्रों ने कहा है कि यह दस वर्ष की अवधि क़ाफ़ी ज्यादा है, हमने सिक्कों के लिये पांच वर्ष की अवधि रखी थी, मैं मानता हूं कि सिक्कों के मुकाबले में यह काम ज्यादा कठिन है क्योंकि सिक्कों के अन्दर जो कुछ भी हमने परिवर्तन किया वह एक प्रकार से अन्दर का या आपस का ही परिवर्तन था, रुपये को जैसा का तैसा हमने इसमें क़ायम रखा है, रुपये के जो भाग हैं उनको हमने नये पैसे कहा और उनके अन्दर हमने परिवर्तन किया, इस लिहाज़ से उनके अन्दर इतनी दिक्क़त नहीं है लेकिन यहाँ तो जो गज़ और सेर हैं वे जैसे के तैसे क़ायम नहीं रह रहे हैं बल्कि उनके अन्दर भी परिवर्तन हो रहा है। इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद मैं समझता हूं कि यह दस वर्ष की अवधि ज्यादा है और मुझे खुशी है कि विरोधी दल के नेता श्री हीरेन मुकर्जी ने आज जो भाषण दिया, वह उनके आज तक के भाषणों को देखते हुए काफ़ी अच्छा भाषण था। और उन्होंने भी कहा कि यह दस वर्ष की अवधि बहुत ज्यादा है। पांच वर्ष की अवधि बहुत काफी होगी और अगर सारे अन्योन्य विभाग काम करने लग जायेंगे तो पांच वर्ष के अन्दर अच्छी तरह से इसका प्रसार हो सकता है। और अगर किसी वजह से सारे प्रयत्नों के बावजूद पांच वर्ष में न हो सके तो तीन वर्ष और भी बढ़ाने की गुंजाइश है, या किसी दूसरे कानून के जरिये से हुकूमत इस सदन के सामने आ सकती है और अधिक समय ले सकती है ।

इन तमाम सुझावों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : अभी कुछ दिन पहले जब मैं दक्षिण में मदुरई नामक स्थान पर केवल इस बात की परीक्षा करने के लिये, कि हमारी नयी मुद्रा के विषय में सरकार का प्रचार कितना

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री कामत]

सफल रहा है, गया था तब एक सभा में अपने संक्षिप्त भाषण के पश्चात प्रश्न पूछने पर बहुतों ने गलत उत्तर दिये। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शिक्षित नवयुवक भी इस विषय में अनभिज्ञ हैं। उन्होंने बताया कि समाचारपत्रों में उन्होंने इस विषय में बहुत कुछ देखा है। किन्तु यह स्पष्ट है कि अभी वह उनकी समझ में नहीं आया है। अतः मैं सरकार से यह कहूंगा कि वह उसे कार्यान्वित करने के विषय में अधिक सावधान रहे। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि बाट और माप के इस नये विधेयक के सम्बन्ध में प्रचार के लिये वह न केवल अपने बल्कि जनता के साधनों का भी उपयोग करे।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

इस विषय का दूसरा पहलू यह है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच कोई समन्वय नहीं है। जब तक राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार को पूरा-पूरा सहयोग न देंगी, तब तक यह बात दूर गांवों की जनता तक नहीं पहुंचेगी। मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली जैसी राजधानी में ही एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय के बारे में कोई समन्वय नहीं है। करीब एक सप्ताह पहले डा० राम सुभग सिंह द्वारा गत वर्ष की पीलिया बीमारी के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री को एक प्रश्न पूछने पर उन्होंने बताया कि जो कुछ हुआ उसका सारा उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है और केन्द्रीय सरकर किसी प्रकार भी उत्तरदायी नहीं थी। दूसरी ओर, एक आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग करने पर दिल्ली राज्य सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री डा० युधवीर सिंह ने उत्तर में लिखा है कि इस विपत्ति के लिये राज्य सरकार या उसके उत्तराधिकारी किसी प्रकार भी उत्तरदायी नहीं है और इसलिये किसी क्षतिपूर्ति का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मैं इस तरह के कई उदाहरण बता सकता हूं जिनमें राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई समन्वय नहीं है। यदि यही बात मान बाट और माप के विषय में हुई, तो मैं नहीं समझ पाता कि गावों के लोगों की क्या हालत होगी। पिछले सत्र में जब यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा रहा था तब भी मैंने यह आशंका व्यक्त की थी कि यदि सरकार कार्यक्षम न होगी तो बड़े नगरों के व्यापारी और उनके वर्ग के लोग छोटे नगरों के और गावों के लोगों को धोखा देंगे और ठग लेंगे और इस प्रकार उन्हें काफी हानि उठानी पड़ेगी।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक में उल्लिखित अनेक मानों के सम्बन्ध में कई ग्रीक और लैटिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। हममें से अनेक लोगों पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम अंग्रेजों जैसे बनाये गये हैं, किन्तु मैं यह कहूंगा कि हम देश की गरीब जनता को ग्रीक और रोमन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः सरकार को चाहिये कि वह इन अनेक चीजों के लिये उचित हिन्दी या भारतीय शब्द ढूंढ निकाले, अन्यथा सारे देश में इस विषय में गड़बड़ी और भ्रम पैदा हो जायगा। मुझे संदेह है कि हमारे देश के कितने शिक्षित लोग "डेका" और "डेसी" का भेद जानते हैं।

†**सभापति महोदय** : हमने सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है, प्रश्न केवल शब्दावलि का है।

†**श्री कामत** : अतः मंत्री महोदय एक आवश्यक शब्दावलि बनाने की आवश्यकता समझें, किन्तु आवश्यक नहीं कि डा० रघुवीर की सहायता से ही यह कार्य किया जाय। मुझे विश्वास है कि बाट और माप के सम्बन्ध में ऐसे सरल शब्द बनाने के लिये, जो साधारण ग्रामीण और नागरिक समझ सकें, सरकार के पास और बाहर भी पर्याप्त संख्या में विद्वान लोग होंगे।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को नयी चीजें ढूंढने की एक धुन सवार हुई हैं। पिछले पांच वर्षों में कई चीज़ें लाद दी गयी हैं। हम यह नहीं जानते कि क्या कार्यान्वित किया जा रहा है और कब। सरकार पिछले एक साल से मुद्रा अधिनियम तथा उससे सम्बन्धित नियमों का बड़े ज़ोर से प्रचार कर रही है किन्तु रेडियो तथा अनेक अन्य साधनों के बावजूद गांव वालों को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पिछले सत्र में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान मैंने सुझाव दिया था कि यह पद्धति अभी विश्व-व्यापी नहीं है और माननीय मंत्री इसका प्रमाण विश्वकोष से देख लें। मैं नहीं समझ पाता कि आज यह नयी पद्धति किस प्रकार अत्यावश्यक है जब कि प्राथमिकता बाट और माप की एकरूप पद्धति को दी जानी चाहिये थी। सरकार की इतनी बड़ी व्यवस्था के होते हुए भी वह इस विषय में एकरूपता नहीं ला सकी है। मैं जानता हूं कि इस विषय में इतना भ्रष्टाचार और धोखेबाजी है कि पत्थर भी बाट के तौर पर काम में लाये जाते हैं। इस बुराई को दूर करने में सरकार बिलकुल असमर्थ रही है और वह मीटर, किलोग्राम इत्यादि चीजों को उठा रही है। जब तक सरकार इस बुराई को दूर न कर सके तब तक इस विधेयक को कार्यान्वित करने के लिये मैं सरकार को समर्थ नहीं समझता। सरकार को सबसे पहले वह काम संतोषजनक रूप से करना होगा ताकि हमें यह विश्वास हो जाये कि इस विधेयक को कार्यान्वित करने के लिये सरकार समर्थ और कार्यक्षम है।

१९४७ से हम देश में एक नयी पद्धति, एक नया जीवन लाने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु अभी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन, वस्त्र और मकान नहीं मिलता। सर्वप्रथम भोजन, वस्त्र की व्यवस्था करने के लिये सरकार उतनी चिन्तित नहीं दिखायी देती। मैं यह नहीं कहता कि नयी चीजें न लायी जायें, किन्तु मुझे आशंका है कि सरकार अन्तिम बातों को पहले और पहली बातों को अन्त में रख रही है। अतः मैं फिर अपील करूंगा कि इन चीजों को लाने से पहले सरकार जनता को पर्याप्त भोजन, वस्त्र और मकान दिलाने की व्यवस्था करे और केवल इसी तरह देश में एक नया जीवन आ सकता है।

सेठ अचल सिंह (जिला आगरा—पश्चिम): सभापति महोदय, जो बिल (विधेयक) आज हमारे सामने पेश किया गया है, उससे हमारे देश और हमारी जनता के लिये बड़ी समस्यायें पैदा हो जायेंगी। हमारा देश सदियों से गुलाम रहा है और इस कारण यहां पर शिक्षा का बड़ा अभाव है। यहां केवल पंद्रह फ़ीसदी लोग पढ़े-लिखे हैं, बाकी अनपढ़ हैं। यहां के अधिकतर लोग किलोग्राम और मीटर इत्यादि को नहीं समझ सकेंगे। वेट और मेज़र (बाट तथा माप) के जो पैमाने यहां पर लागू करने का विचार किया जा रहा है, वे पश्चिमी देशों में सैंकड़ों वर्षों से चल रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए अभी केवल नौ साल हुए हैं और यहां की अधिकांश जनता अनपढ़ है, इसलिये उन पैमानों को यहां पर कायम करना एक दिक्कत तलब बात है। इस बिल में दस वर्ष का समय रखा गया है, लेकिन मेरे मत में यह अवधि बहुत कम है और इस को बढ़ा कर बीस वर्ष कर देना चाहिये। इसके अलावा हमारे देश में केवल पंद्रह फ़ीसदी लोग पढ़े-लिखे हैं, जब कि पश्चिमी देशों में अस्सी-नब्बे फ़ीसदी लोग पढ़े लिखे हैं। इसलिये दोनों का मुकाबला नहीं किया जा सकता है।

अभी तक हमारे देश में अनेक पैमाने प्रचलित रहे हैं। कहीं पर मन दस पन्सेरी का है, कहीं पर नौ पन्सेरी का और कहीं पर बीस सेर का है। देश के मुख्तलिफ़ भागों में मुख्तलिफ़ पैमाने हैं। जब उन सब के स्थान पर एक नया पैमाना रख दिया जायगा, तो लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हमारी जनता शिक्षा में बड़ी पीछे है। वह किलोग्राम और मीटर के बारे में कुछ न जान सकेगी। जैसा कि मैंने अभी कहा है, इस बिल में दस वर्ष की अवधि के बजाय बीस वर्ष की अवधि रख देनी चाहिये। तब तक हमारी जनता काफ़ी शिक्षित हो जायगी और यह परिवर्तन आसानी से हो सकेगा। हमारे यहां पर जो नये-नये कानून इत्यादि बन रहे हैं, हमारी जनता उनसे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है और न उनको समझ ही पाती है। इस बिल के पास होने से वह बड़ी परेशानी में पड़ जायगी और सरकार का बड़ा विरोध करेगी।

अन्त में मैं फिर यह निवेदन करूंगा कि दस वर्ष के बजाय बीस वर्ष की अवधि रख दी जाय ताकि जनता पूरी तरह शिक्षित हो जाय और आहिस्ता-आहिस्ता इस व्यवस्था को ग्रहण कर सके और सुविधा के साथ इसका पालन कर सके।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा—मध्य) : मैं समझता हूं कि सभा में किसी भी व्यक्ति को इस विधेयक के सिद्धान्त के बारे में आपत्ति नहीं है किन्तु विधेयक के अध्ययन से जान पड़ता है कि इसको तत्काल लागू करने की आवश्यकता नहीं है और इसकी व्यावहारिकता भी सन्देहजनक है। इसके लिये समय भी लगभग १० वर्ष का रखा गया है। मैं तो समझता हूं कि देश के अन्दर की इतनी समस्यायें अभी हमें सुलझानी हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्या उठा लेने से कोई लाभ नहीं होगा। देश की अभी ८५ प्रतिशत जनता अशिक्षित है। जब तक देश में साक्षरता नहीं फैल जाती तब तक अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को सम्मुख रख कर इस बारे में परिवर्तन करना उचित नहीं जान पड़ता। यद्यपि मुझे इसमें सन्देह नहीं कि सरकार इस प्रकार का विधान जनता को शिक्षित बनाने के लिये अपना रही है किन्तु यह सर्वथा अपर्याप्त है।

†**सभापति महोदय** : शान्ति, शान्ति। मैं सभा को बताना चाहूंगा कि यह विधेयक संयुक्त समिति से आया है। सभा द्वारा विधेयक का सिद्धान्त मान लेने का तात्पर्य यह है कि अब सभा को इस बात पर विचार करना है कि इस सभा ने जो बातें या सिद्धान्त तय किये थे संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उनके अनुकूल है या नहीं। इस प्रकार का विधान सही है अथवा नहीं यह बात अब नहीं उठाई जा सकती। अब तो केवल यह कहा जा सकता है कि इसमें किस प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिये। यह कहना अब उचित नहीं कि देश की जनता के अशिक्षित होने के कारण इस प्रकार का विधान नहीं बनाया जाना चाहिये। अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे ऐसे सुझाव रखें, जिनसे अधिक सुविधापूर्वक देश में यह व्यवसथा लागू की जा सके।

†**श्री कामत** : मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या कलेण्डर तथा अन्य चीजों के बारे में जिनका अभी आपने उल्लेख किया, सभा संशोधनों का सुझाव रखने के लिये सक्षम नहीं है ?

†**सभापति महोदय** : संशोधन रखना तो ठीक है, किन्तु यह कहना उचित नहीं कि सरकार को इस प्रकार का विधान नहीं बनाना चाहिये था। इस बारे में सिद्धान्त को तो हम विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपते ही स्वीकार कर चुके थे।

†**श्री श्रीनारायण दास** : यद्यपि हम लोग सिद्धान्त को स्वीकार कर चुके हैं किन्तु इस प्रक्रम पर यदि हम चाहें तो विधेयक को रद्द कर सकते हैं। बाट तथा माप आदि के नाम के बारे में चर्चा करते समय इस विधेयक के पक्ष अथवा विपक्ष में कहा जा चुका है और यह सभा उन्हें भारतीय नाम देने के लिये सक्षम है। मैं यह कह रहा हूं कि हम जो अन्तर्राष्ट्रीय शब्द अपनाने जा रहे हैं उन्हें हमारे देश की अशिक्षित जनता नहीं समझ सकेगी। किलोग्राम जैसे विदेशी शब्दों को हमारे यहां के लोग नहीं समझ सकेंगे इस कारण ऐसे समय में ये शब्द यहां खप न सकेंगे।

†**सभापति महोदय** : दशमिक प्रणाली सिद्धान्त को तो सभा स्वीकार कर ही चुकी है। रही शब्दावली अथवा नामों में परिवर्तन करने की बात, इसके लिये जो शब्द जनता की समझ में आसानी से आ सकें वे अपनाये जा सकते हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मैंने दशमिक प्रणाली के विपरीत नहीं अपितु इन नामों को अपनाने का विरोध किया था।

†**श्री कामत** : हम विधेयक को तृतीय वाचन के समय भी रद्द कर सकते हैं।

†**सभापति महोदय** : यदि बहुमत चाहे तो।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री कामत** : कौन कह सकता है कि बहुमत ऐसा निर्णय नहीं करेगा ?

†**सभापति महोदय** : बात यह नहीं है । मूल चर्चा अर्थात प्रथम वाचन तथा प्रवर समिति द्वारा भेजे गये रूप में विधेयक की स्थिति कुछ भिन्न हो जाती है । प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का नियम ११६ इस प्रकार है :

"इस प्रस्ताव पर कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाये, वाद-विवाद प्रवर समिति के प्रतिवेदन के विचार तक और उस प्रतिवेदन में निर्दिष्ट विषयों तक या विधेयक के सिद्धान्त से सुसंगत किन्हीं वैकल्पिक सुझावों तक सीमित रहेगा ।"

इस प्रकार इस प्रक्रम में माननीय सदस्य विधेयक के सिद्धान्त पर आपत्ति नहीं कर सकते । प्रतिवेदन में जिन संशोधनों का सुझाव दिया गया है, विधेयक को लागू करने अथवा अन्य वैकल्पिक उपायों के बारे में संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं । मैं देखता हूं कि इस विधेयक के बारे में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

†**श्री कामत** : मैं विधेयक के सिद्धान्त का विरोध नहीं कर रहा हूं । किन्तु समय के बारे में हम कह सकते हैं कि दशमिक प्रणाली अपनाने का यह उपयुक्त समय नहीं है ।

†**सभापति महोदय** : इस पर तो कुछ माननीय सदस्य पहले ही बहस कर चुके हैं कि यह विधेयक ५, १५ अथवा २५ वर्षों के बाद लागू होना चाहिये ।

†**श्री कामत** : यदि मैं यह कहूं कि यह विधेयक आज के बजाय दो वर्ष पश्चात् पुरःस्थापित किया जाना चाहिये था तो विधेयक का सिद्धान्त तो यह नहीं है । उसका सिद्धान्त तो दशमिक प्रणाली है ।

†**सभापति महोदय** : आप विधेयक को पारित करने के बारे में इस प्रक्रम में आपत्ति नहीं कर सकत । आप यह अवश्य कह सकते हैं कि यह विधेयक आगामी २० वर्षों तक नहीं लागू किया जाना चाहिये ।

†**श्री कामत** : यह तो आप तृतीय वाचन के समय भी कह सकते हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : जहां तक मैं समझ सका हूं सरकार ने दशमिक प्रणाली तथा दशमलव प्रणाली स्वीकार कर ली हैं अतः हम लोगों को भी उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिये । हां, उनके अन्तर्राष्ट्रीय नाम आदि अपनाना हमारे देश के लिये आवश्यक नहीं है । हम अपने देश के विभिन्न भागों में प्रचलित नाम अपना सकते हैं ।

†**सभापति महोदय** : इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इस सभा को अधिकार है कि वह जो नाम चाहे अपना ले ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार के विधान में दिलचस्पी है और फिर यह विधान वर्तमान व्यापार और वाणिज्य के लिये वांछनीय नहीं है । इसके लिये वास्तविक आवश्यकता है लोगों को शिक्षित बनाना जो कार्य अभी तक नहीं किया गया है ।

साम्यवादी दल के उपनेता ने सुझाव दिया है कि विधेयक में उपबन्धित दस वर्ष का समय घटा कर पांच वर्ष कर दिया जाये और मेरा मत यह है कि यह समय दस वर्ष से बढ़ा कर पन्द्रह वर्ष कर दिया जाये जिससे उस समय तक लोग शिक्षित हो कर इसे आसानी से समझ सकें ।

पिछले सौ वर्षों में इसके लिये न जाने कितनी समितियां बनाई गईं और अन्ततोगत्वा सरकार इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि अन्तर्राष्ट्रीय नाम चालू करना ही अच्छा होगा । मेरा सुझाव यह है कि भारत जैसे देश के लिये अधिकाधिक प्रचलित भारतीय नाम, जैसे मन, सेर छटांक आदि अपनाये जाने चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री श्रीनारायण दास]

इस कार्य के लिये एक उच्च शक्ति वाली समिति नियुक्त की जानी चाहिये । ये नाम संस्कृत के हों तो भी कोई हर्ज नहीं है । संस्कृत भाषा में छोटी से छोटी नापों के लिये भी शब्द मौजूद हैं । अतः इस विधेयक में उन नये भारतीय नामों का प्रयोग किया जा सकता है ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : तामिलनाड इस बात को स्वीकार नहीं करेगा ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : हमें वे शब्द लेने चाहियें जिनका उपयोग विभिन्न राज्यों में होता हो । इस प्रणाली में समानता लाने की आवश्यकता है । मैं इस बात से सहमत हूं कि देश में दशमलव प्रणाली तथा दशमिक प्रणाली जारी की जानी चाहिये और मापों तथा बाटों के उपयुक्त भारतीय नाम ढूंढें जाने चाहियें जिससे अशिक्षित लोग भी उन्हें समझ सकें ।

†**श्री कामत** : अब गणपूर्ति नहीं है ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : गणपूर्ति के साथ-साथ शिष्टता भी आवश्यक है ।

†**सभापति महोदय** : गणपूर्ति के लिये घंटी बजाई जाये ।

†**सभापति महोदय** : अब गणपूर्ति है, श्री तेलकीकर अपना भाषण आरम्भ करें ।

†**श्री तेलकीकर** (नान्देड़) : जहां तक विधेयक के उद्देश्य और सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, मैं उसका समर्थन करता हूं । एक बात जिस पर सभा को शान्तिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि प्रत्यायोजित विधान के लिये कहां तक शक्ति दी जा सकती है। सामान्यतः संसद् में बड़ी-बड़ी समस्याओं तथा ठोस सिद्धान्तों पर ही विचार किया जाता है । अधीनस्थ विधान आपातों का सामना करने तथा संविधि को जटिल बनाने से रोकने के लिये होता है । प्रत्यायोजित विधान से संसद् का समय भी कम व्यय होता है । राज्य के बढ़ते हुए कार्यों को देखते हुए ही अधीनस्थ विधान अथवा प्रत्यायोजित विधान का आदी हमें बनना पड़ा है । इसके होते हुए भी हमें इस बारे में सजग रहना चाहिये कि विधेयक का कोई महत्वपूर्ण विषय छूट न जाये ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम इस विधेयक पर विचार करते हैं तो हमें पता लगता है कि कुछ चीजें इसमें सम्मिलित की जानी चाहियें थीं । इससे पहले इसी प्रकार के तोल अधिनियम, १९३९ के अधिमान में सहायक एककों की परिभाषा दी गई है जबकि इस विधेयक में वह चीज छोड़ दी गई है । वास्तविक विधान कार्यपालिका द्वारा बनाये जाने वाले नियमों के ऊपर छोड़ दिया गया है । वास्तव में सहायक एकक और नाम आदि विधेयक की मुख्य चीजें हैं ।

मेरे पूर्ववक्ता तथा अन्य सदस्यों ने कहा है कि वर्तमान शब्दावली को हटाकर उसमें भारतीय नाम रखे जाने चाहियें । मैं इन की बात समझने में असमर्थ हूं । इसमें जो शब्द आये हैं वे संस्कृत से लिये गये हैं और सरल भी हैं । श्री किशन चन्द का एक विमति टिप्पण है । उनका कहना है कि दस, सौ और हज़ार आदि शब्द पहले लगाये जाने चाहियें । यह चीज़ तो पहले से ही है 'डेका' का तात्पर्य दस है । ग्रीक तथा और लोग भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते थे । अतः इनके नामों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है । मीटर तथा ग्राम आदि नाम हम बने रहने देना चाहते हैं । ये नाम लगभग सारे संसार में प्रचलित हैं । वैज्ञानिक पुस्तकों आदि को पढ़ते समय हम उन्हें सरलता से समझ सकेंगे ।

विधेयक में कुछ दोष भी हैं । इसका प्रारूपण बिल्कुल दूसरे ढंग से किया जाना चाहिये था । परिभाषाओं क विभिन्न खण्ड हैं जबकि उन्हें एक ही खण्ड में रखा जाना चाहिये था ।

विधेयक में प्रमुख एकक दिये गये हैं और उसके लिये विभिन्न खण्ड बनाये गये हैं । इनको भी एक साथ रखकर विधेयक को छोटा बनाया जा सकता था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सबसे बड़ी कठिनाई सहायक एककों के नामों के निर्धारण की है जिसे नियम बनाने वाले प्राधिकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। इस प्रकार का प्रत्यायोजित विधान भारत के नागरिकों की समझ में आसानी से नहीं आ सकता। इस कारण विधेयक में ही सहायक एककों के नाम दिये जाने चाहिये थे। ये नियम गुप्त भी नहीं हैं किन्तु उनका मालूम करना कठिन है।

†**सभापति महोदय** : नियम संसद् के सम्मुख रख दिये जायेंगे। संयुक्त समिति ने एक उप-खण्ड जोड़ दिया है।

†**श्री तेलकीकर** : मैं कह चुका हूं कि साधारण जनता उनके बारे में आसानी से नहीं जान सकेगी जबकि संसद् के सदस्यों के लिये ऐसी बात नहीं है।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : यह विधेयक संसद् में अब तक पुरःस्थापित किये गये क्रान्तिकारी विधेयकों में से है। यद्यपि संयुक्त समिति में इस पर विचार किया जा चुका है किन्तु मुझे आशंका इस बात की है कि इसे सफलतापूर्वक किस तरह कार्यान्वित किया जा सकेगा। जब तक हम इस देश के अनपढ़ लोगों को इसकी प्रमुख विशेषताओं से अवगत नहीं करा देते तब तक मुझे इस विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति में सन्देह है।

यदि हम इसे सफल बनाना चाहते हैं तो इस परिवर्तन का सतत प्रचार करना होगा। इस बारे में मैं श्री ही० ना० मुकर्जी के कथन का समर्थन करता हूं। इसका प्रचार पाठ्य-पुस्तकों, जहां-तहां पर इश्तहार लगाकर और वृत्त चित्रों के द्वारा किया जाना चाहिये।

इस विधेयक को लागू करने के लिये अब से दस वर्ष का जो समय रखा गया है, यह एक क्रान्तिकारी उपबन्ध है। इसमें अभी बहुत सी जटिलतायें हैं। इस कारण हम इस बीच कार्यक्रम समिति बना लें जो इस बात के लिये तैयारी कर सके।

इस कार्यक्रम समिति में विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि तथा अन्य प्रशासकीय पदाधिकारी आदि रखे जायेंगे। यह समिति अन्तर्राष्ट्रीय नामों आदि की जांच करेगी जिससे वे नाम सरलता से अपनाये जा सकें। समिति से यह भी कहा जा सकता है कि वह इस विषय में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे कि क्या इस प्रकार के विधान को दस वर्षों से पहले कार्यान्वित किया जा सकेगा।

एक सुझाव दिया गया था कि जेकोस्लोवेकिया और रूस में यह कार्य हो चुका है इस कारण हमारे यहां भी पांच वर्षों में ऐसा करना सम्भव हो सकता है। इस बारे में मुझे यह कहना है कि उपर्युक्त दोनों देशों की हमारे देश से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि यहां की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियां सर्वथा भिन्न हैं। हमारे देश में शताब्दियों से अज्ञानता फैली हुई है। देश के विभिन्न भागों में ही बाट तथा माप में अन्तर नहीं है अपितु एक ही राज्य के विभिन्न ज़िलों में विभिन्न बाट तथा माप प्रचलित हैं।

हम चाहे जो नाम आदि अपनायें बड़े नगरों में लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होगी किन्तु पिछड़े क्षेत्रों के बारे में मुझे बड़ी शंका है क्योंकि देश की अधिकांश जनता अभी पिछड़ी हुई है। एक ही मन की तोल विभिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न है। दूसरी कठिनाई यह है कि बहुत से स्थानों में मिट्टी के तेल के पीपे के माध्यम द्वारा वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है। बहुत से लोग बाट और माप के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। अतः रूस आदि देशों से इस सम्बन्ध में तुलना नहीं की जा सकती। इस बारे में देश की सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जाना चाहिये।

मैं विधेयक का स्वागत करता हूं किन्तु माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह कार्यक्रम समिति बनायें, जिसके बारे में मैं सुझाव दे चुका हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ले० जोगेश्वर सिंह]

इस विधान को कार्यान्वित करने के लिये हमारा क्रमबद्ध कार्यक्रम होना चाहिये। यह कार्य एकदम नहीं किया जा सकता, इसकी विभिन्न श्रेणियां हैं। नाम ऐसे रखे जाने चाहियें जो सभी लोग समझ सकें तथा अन्य देशों के लोगों को भी उन्हें समझने में आसानी हो। अतः समान स्तर अपनाया जाना चाहिये जो सारे देश में लागू किया जा सके।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री उत्तर देंगे ?

†**सभापति महोदय** : मैं समझता हूं कि इस विधेयक के लिये छः घंटे नियत किये गये हैं।

†**श्री कामत** : खण्डवार चर्चा के लिये कितना समय नियत किया गया है ?

†**सभापति महोदय** : कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है किन्तु इसके लिये अभी पर्याप्त समय है। श्री अच्युतन।

†**श्री अच्युतन** (क्रेंगन्नूर) : मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य बोलना जारी रखें।

†**श्री अच्युतन** : मैं माननीय मंत्री को इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं। मैं भी संयुक्त समिति का एक सदस्य था जिसमें इसके सिद्धान्त के बारे में किसी ने विवाद नहीं किया।

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में भी हमारे देश में दशमिक प्रणाली को अपनाने का विचार किया गया था। न केवल राज्यों में ही अपितु गांवों की विभिन्न बाज़ारों में ही भिन्न-भिन्न बाट तथा माप की दरें प्रचलित हैं। अतः इनमें समानता लाने की आवश्यकता अनुभव की गई। संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार बाट तथा माप का प्रमापीकरण करने के लिये सक्षम है जिसको कार्यान्वित करना राज्य सरकारों का काम है। इसी कारण इसको कार्यान्वित करने के लिये दस वर्ष की अवधि रखी गई है। नवीन प्रणाली अपनाने में समय चाहिये। इस संक्रमण काल में करोड़ों रुपये खर्च होंगे। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है। हम देश के औद्योगीकरण के लिये उद्यत हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि दस वर्ष की अवधि बहुत अधिक है। राज्य सरकारों को भी आवश्यक कार्यवाही करनी है। दूसरे देशों में भी १५ वर्ष लगे हैं। हम यह नहीं कह सकते कि इन देशों में लोग वैज्ञानिक ढंग से नहीं सोचते हैं अथवा वहां कोई शीघ्रता नहीं थी। संयुक्त समिति में इन सब बातों की विवेचना कर दी गई है।

नाम के सम्बन्ध में भी विवाद उठाया गया है। इसके लिये एक भाषा चाहिये। दक्षिण भारत के लोग कहेंगे कि हिन्दी ही क्यों ग्रहण की जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय नामावलि के लिये यह सबसे अधिक उपयुक्त अवसर है। यहां के कुछ व्यक्ति श्री लंका जाते हैं और छः महीने काम करने के पश्चात् लौट आते हैं। श्री लंका में दशमिक प्रणाली है। अतः उन्हें असुविधा होगी। यदि आप इस नवीन प्रणाली को स्कूलों, पुस्तिकाओं, रेडियो आदि के माध्यम से प्रचारित करें तो लोग इससे परिचित हो जायेंगे। मैं अन्तर्राष्ट्रीय नामों का दृढ़ समर्थक हूं। हमें अपनी भाषा को समृद्ध करना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय नामों को सम्मान के साथ अपनाया जा सकता है।

गांवों, बाजारों और मेलों में छोटे-छोटे व्यापारी अशिक्षित लोगों को किस तरह ठगते हैं। लोहे के बाटों के बजाय वह पत्थर के बाट काम में लेते हैं। गज के स्थान पर हाथ से कपड़ा नापते हैं। अतः वर्तमान विधेयक में जो उपबन्ध रखे गये हैं वे सर्वथा उपयुक्त हैं।

नियम भी साधारण हैं। राज्य सरकारें कुछ नियम बनायेंगी। उन्हें संसद् के समक्ष रखा जायेगा और यदि आवश्यकता हुई तो उनमें संशोधन कर दिये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

आज जहां हम नये उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं, वस्तुओं का निर्यात और आयात कर रहे हैं तो हमें अन्तर्राष्ट्रीय नाम अवश्य अपनाने चाहिय । हमें प्रगति के उच्चतम चरण पर रहना चाहिये । श्री कामत प्रजातंत्र की दुहाई दे रहे हैं । किन्तु प्रजा समाजवादी क्या कर रहे हैं । उन्होंने साम्यवादियों से सांठगांठ कर रखी है ।

†**श्री कामत :** आप प्रजातंत्र का गला घोंट रहे हैं ।

†**श्री अच्युतन :** नहीं । हम इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि देश में समुचित प्रजातांत्रिक सिद्धान्त पल्लवित हों । मेरा दृढ़ विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय नाम अपनाये जायें । हमने दशमिक प्रणाली स्वीकार कर ली है । जब दोनों प्रकार के सिक्के बाजर में चलेंगे तो लोग अपने आपको अभ्यस्त बना लेंगे । देश की जनता भले ही अशिक्षित हो किन्तु वह बुद्धिमान है और उसमें विषय को समझने की क्षमता है । मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसे यथाशीघ्र ही संविधि पुस्तक में रखा जाये ।

†**डा० जयसूर्य** (मेदक) : क्या इस विधेयक के सम्बन्ध में किसी को मतभेद हो सकता है ? भारत में अनेक विविधतायें हैं; वस्त्रों में, भोजन में, बाट और नापों में, बुद्धि के मापदण्ड में अन्तर है । राज्यों में १६ भिन्न-भिन्न अधिनियम हैं । इस विषमता को दूर करने के लिये ही यह अधिनियम रखा जा रहा है । अधिकांश इस बात पर निर्भर है कि सरकार इसे किस प्रकार लागू करती है । मान लीजिये श्री कामत का यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है कि मीटर को नया गज कहा जाये । यह केवल तीन इंच ही अधिक है । हम इस विधेयक को पारित कर सकते हैं । गांवों और जिलों में ऐसा होता है कि ज्योंही इंस्पेक्टर साहब आते हैं व्यापारी नये गज से नापना आरम्भ कर देता है और उनके जाते ही फिर वही पुराना गज काम में आता है । ऐसा ही सेर के साथ होता है । वर्तमान विधेयक अत्यन्त वांछनीय है । इसमें किसी को मतभेद नहीं हो सकता है । परन्तु इसकी सफलता सरकार की प्रभावपूर्ण और सुचारू व्यवस्था पर निर्भर है ।

आज प्रत्येक व्यक्ति चाय, तारघर, टेलीग्राम, स्टेशन, साइकिल आदि से परिचित है । फिर संस्कृत के क्लिष्ट और दुर्बोध शब्द अपनाने से क्या लाभ है ।

श्री चट्टोपाध्याय : कंठलगोट ।

श्री कामत : साइकिल-द्विचक्र ।

†**डा० जयसूर्य :** केवल मंत्री बनने से काम नहीं चलेगा । लोग 'रेडियो' शब्द का व्यवहार करते हैं ।

परिवर्तन से थोड़ी गड़बड़ी अवश्य होगी, यह सच है किन्तु यह सब इस बात पर निर्भर है कि आप इस नवीन प्रणाली को किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं । दस किलोग्राम कहने के बजाय नया सेर कहना उचित है । जर्मनी और यूरोप में जब वैज्ञानिक शब्दों को लैटिन से दूसरी भाषाओं में परिवर्तित किया गया वह सब सरलतापूर्वक हो गया । वहां पर यह परिवर्तन भाषा के विकास की कहानी का अंग बन गया है । दुर्भाग्य से भारत में इस प्रकार का स्वाभाविक विकास कहीं दिखाई नहीं देता है । इन बातों का विधेयक के उपबन्धों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री टेकचन्द** (अम्बाला-शिमला) : बाटों तथा मापों की वर्तमान स्थिति से बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है । इनके प्रमापीकरण का प्रयास स्तुत्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री टेकचन्द]

नये बाट तथा माप के प्रचार के लिये एक सरकारी व्यवस्था होनी चाहिये । सिनेमा, ट्रैक्ट, प्रलेख-चित्रों के माध्यम से इनका प्रचार किया जा सकता है । विमति-टिप्पण में श्री मुकर्जी ने कहा है कि ईरान और सीरिया में नवीन व्यवस्था तुरन्त लागू कर दी गई । फिलीपाइन में बीस वर्ष से अधिक नहीं लगे और चेकोस्लोवाकिया में चार वर्षों में यह कार्य हो गया । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि विदेशी शब्द नहीं अपनायें जायें । हमें केवल यही देखना है कि यह विदेशी नाम उच्चारण में तो कठिनाई पैदा नहीं करते हैं । जब किसी शब्द का उच्चारण सरल एवं सुबोध है तो हमें इतनी असहिष्णुता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिये कि इन शब्दों को तिलांजलि दे दें ।

श्री कामत का भाषण सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों को तो तिलांजलि दे दी और वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया कि लोगों के पास पर्याप्त वस्त्र नहीं हैं, पर्याप्त भोजन नहीं है, सरकार नृशंस है ।

सरकार की योजना के अनुसार एक संक्रमण अवधि रखी गई है जिसमें नये और पुराने दोनों प्रकार के बाट तथा माप चलेंगे । यह बहुत अच्छी बात है । मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री कानूनगो :** पूर्व वक्ताओं ने मेरे कार्य को अत्यन्त सरल बना दिया है । विशेष रूप से मैं साम्यवादी दल के उपनेता का विशेष रूप से आभारी हूं । उन्होंने इस योजना को सफलीभूत करने के लिये कुछ गम्भीर प्रयासों की ओर संकेत किया है । डा० जयसूर्य ने अत्यन्त सारगर्भित रूप में कहा है कि विधेयक के सिद्धान्त और प्रयोजन के बारे में किसी को मतभेद नहीं हो सकता ।

अब हमें इस नवीन प्रणाली को कार्यान्वित करने के उपाय पर विचार करना है । इसके लिये जो भारी प्रयास करने पड़ेंगे हम उनसे अवगत हैं । निश्चलता तेजी के साथ ढह रही है । सम्भव है कि इसकी गति इतनी तेज न हो । किन्तु शनैः शनैः यह बढ़ रही है । यह व्यवस्था भी इस कार्य में सहायक सिद्ध होगी ।

एक माननीय सदस्य ने इस विधेयक की अविलम्बनीयता और आवश्यकता पर आपत्ति की है । उन्होंने कहा कि जब देश में अन्य अनेक समस्यायें हैं तो फिर इसे ही इतने शीघ्र कार्यान्वित करने की क्या आवश्यकता थी । इसका उत्तर वही मेरी पुरानी बात है कि हम कृषि सम्बन्धी गतिहीन अर्थ-व्यवस्था से उठकर औद्योगिक युग की ओर अग्रसर हो रहे हैं । औद्योगीकरण की संवृद्धि को शीघ्र सम्पन्न करने के लिये वर्तमान व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है । यदि हमने विलम्ब किया तो हम ब्रिटेन की भांति ही विषक्त घेरे में फंस जायेंगे । इस विषय पर ब्रिटिश सरकार के आयोग की १९५१ की एक अत्यन्त उपयोगी रिपोर्ट है । श्री ही० ना० मुकर्जी ने इसे उद्धृत किया है । उस रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि ब्रिटेन में इस प्रकार की कार्यवाही पहले नहीं की गई और परिणामस्वरूप वे इसमें इतना फंस गये हैं कि अब बाहर नहीं निकल सकते ।

अतः जो सदस्य बाहर की जनता के सन्देह को यहां पर व्यक्त कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हम इस कार्य में शीघ्रता नहीं कर रहे हैं हमारा विश्वास है कि इस व्यवस्था से देश की आर्थिक प्रगति शीघ्र होगी ।

बहुत से सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं । हम प्रचार सम्बन्धी कार्य की गहनता से परिचित हैं । हम यह करेंगे । इस विधेयक को पारित कर देने पर सरकार उन सब कार्यों को स्वतंत्रतापूर्वक कर सकेगी जो इसके लिये आवश्यक हैं । मैं निवेदन कर दूं कि जब तक विधान के रूप में संसद् अपनी स्वीकृति नहीं देती है सरकार कुछ नहीं कर सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

संसद् द्वारा अनुमति मिल जाने पर ही हमारे कार्य की प्रगति आंकी जा सकती है। मेरा विश्वास है कि मेरे उत्तराधिकारी सदन को समय-समय पर इस सम्बन्ध में जानकारी देते रहेंगे।

†**श्री कामत :** आप स्वयं क्यों नहीं बताते ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** (दरभंगा व भागलपुर) : आप ही क्यों नहीं बताते ? हमारा विश्वास है आप अपने यहां पर रहेंगे।

श्री कानूनगो : भविष्य सर्वथा अनिश्चित है।

†**श्री कामत :** लेकिन आपका नहीं।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** विश्वास है आप यथावत् रहेंगे।

†**श्री कानूनगो :** श्री ही० ना० मुकर्जी ने और कुछ अन्य सदस्यों ने क्रियान्विति की अवधि के कम किये जाने पर बहुत ज़ोर दिया है। मैंने पहले ही कह दिया है कि हम ऐसा करने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे। किन्तु केवल इच्छा प्रकट करने से ही फल की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इसीलिये यह अवधि हमने जानबूझ कर निश्चित की है। मैं सदन को स्मरण कराना चाहता हूं कि विशेषज्ञों के एक दल ने जिसने इस मामले की सावधानी से जांच की थी, १० से १५ वर्ष तक की अवधि का सुझाव दिया था।

अन्य देशों के उदाहरण दिये गये हैं। मैं तो वहां की स्थिति को नहीं जानता हूं। किन्तु इतना जानता हूं कि भिन्न-भिन्न देशों में स्थिति भिन्न-भिन्न होती है। हमारा देश बहुत बड़ा है और यह काम कोई नया नहीं है बल्कि इस की एक बड़ी पृष्ठभूमि है, आज भी माशा, रत्ती आदि प्रचलित हैं, जिन से गड़बड़ी और भी बढ़ती है।

इसलिये मेरा उन लोगों से जिन्हें इसके सम्बन्ध में आशंका है, निवेदन है परिवर्तन में शीघ्रता करना ही वास्तविक बात है, अन्यथा वह गति नहीं रहेगी। मैं यह अनुभव करता हूं, किन्तु सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हमें निश्चित समय-सारणी पर कायम रहना चाहिये, और यदि सरकार सदन की इच्छायें इस अवधि से पहले––चार या पांच वर्षों में––पूरी कर सकी, तभी वह कुछ प्रशंसा की हकदार हो सकती है।

उदाहरण के लिये, नक्शों को लीजिये। आज तक भी सारे भारत का नक्शा नहीं बनाया जा सका है। इसके बड़े-बड़े क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अभी नक्शे नहीं बनाये गये हैं। सब नक्शे इंच, फुट और मील आदि के आधार पर हैं। इन सब नक्शों पर कंटूर रेखायें खींची गई हैं, कुछ ५ फुट के कंटूर हैं कुछ ६ फुट के हैं। साधारणतया हमारा कार्यक्रम २५ वर्षों में एक बार क्षेत्रीय जांच करके नक्शों को पूरा करने का है। किन्तु इस गति से भी, हम अभी तक काम को पूरा नहीं कर सके हैं। अब सारा नक्शा बदलने के लिये हमें बहुत से क्षेत्र कर्मी और प्रारूप (ड्राफ्ट्समैन) चाहियें। मुझे बताया गया है कि संक्रमनकालीन अवधि के लिये, हम वर्तमान नक्शों के लिये परिवर्तन तालिकायें बना सकते हैं। किन्तु जहां तक कंटूरों का सम्बन्ध है, हमें कुछ समय तक उन्हें वैसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हम भ्रान्ति नहीं चाहते, हमारे नक्शे शुद्ध होने चाहियें। पहाड़ों पर चढ़ने वालों, सैनिकों और सर्वेक्षकों को हमारे मूल नक्शों पर निर्भर करना पड़ता है।

दूसरी समस्या गौण और कामचलाऊ प्रमापों के निर्माण के बारे में है। हम निश्चय ही समस्त संभाव्यताओं पर विचार कर रहे हैं, किन्तु इसकी कुछ सीमायें हैं। उदाहरण के लिये, प्राथमिक और गौण प्रमापों के मामले में हमें अत्यधिक स्तर की शुद्धता की आवश्यकता है। काम चलाऊ प्रमापों के मामले में,

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री कानूनगो]

हम उन्हें कुछ ढीला कर सकते हैं। दो संगठन, जो इतनी शुद्धता की व्यवस्था कर सकते हैं, टकसाल और युद्ध-सामग्री कारखाने हैं। निस्संदेह युद्ध-सामग्री कारखाने अपनी क्षमता का अधिकतम प्रयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि केवल इसी कार्य से फालतू कर्मचारियों को काम देने की समस्या हल नहीं हो सकेगी।

फिर मुझे मालूम हुआ है कि युद्ध-सामग्री कारखानों में लम्बाई और माप के प्रमाप तैयार करने के लिये नई मशीनें और सामान प्राप्त करना पड़ेगा। ये समस्यायें हैं, यह चुनौतियां हैं, हमें किसी न किसी तरह इन्हें हल करना है और हम इन्हें हल करेंगे।

पहले वक्ताओं ने क्रियान्विति के बारे में संदेह प्रकट किये हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार इसकी कार्यान्विति का उत्तरदायित्व राज्यों पर है। सौभाग्य से समस्त राज्यों ने इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की अपनी सर्व सहमत सम्मति प्रकट की है। किन्तु मैं उनकी कठिनाइयों को अच्छी तरह जानता हूं। पहली कठिनाई कर्मचारियों की कमी है। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा है, एक या दो राज्यों को छोड़ कर, इस कार्य के लिये अपेक्षित प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं। फिर हमारे पास नियन्त्रित मंडियां नहीं हैं। विधान हैं किन्तु कुछ स्थानों के सिवाय, कहीं भी नियन्त्रित मंडियां नहीं हैं। कर्मचारियों के सम्बन्ध में, हमें तीन या चार श्रेणियों के कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, सब से नीचे निरीक्षक, उनके ऊपर पर्यवेक्षक कर्मचारी और सबसे ऊपर प्रशिक्षित प्रविधिज्ञ, जो इस कार्यक्रम के लिये प्राथमिक मार्गदर्शन का काम करेंगे। फिर हमें बहुत से प्रशासकों की भी आवश्यकता है। हम जानते हैं कि इस प्रकार के कर्मचारियों को भरती करके उसे प्रशिक्षित करना है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न वित्त का प्रश्न है। आज मैं केवल यही कह सकता हूं कि इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और अवश्य ही कोई तरीका निकालेंगे क्योंकि हमारा इरादा पक्का है और इसलिये कोई न कोई साधन निकल ही आयेगा। विधेयक के पारित होते ही हम राज्यों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने की आशा करते हैं, जिसमें इस बात की व्यवस्था की जायेगी कि इस कार्यक्रम को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये क्या तरीक़े हो सकते हैं।

इस बीच, हम कुछ प्रारम्भिक कार्यवाही कर रहे हैं। मैं हर्ष से कह सकता हूं कि भारत सरकार के विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों ने और राज्यों ने बहुत उत्साह दिखाया है। शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण के मामले में हम पूर्णतया अनुभव करते हैं कि कार्यक्रम प्राथमिक कक्षाओं से शुरू किया जाना चाहिये, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ही इस दशमिक प्रणाली से लाभ उठायेगी। इस सम्बन्ध में, मुझे डा० जियाउद्दीन का वह भाषण याद आता है, जो उन्होंने पुरानी केन्द्रीय विधान सभा में दिया था। इसी प्रकार के एक विधेयक का समर्थन करते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया था कि अंकगणित में बच्चों का परिश्रम आधे से भी कम हो जायेगा। मैं इस बात को अच्छी तरह से अनुभव करता हूं कि लाखों प्राथमिक स्कूलों तक पहुंचने में हमें कितनी कठिनाई होगी और कितना समय लगेगा। प्रारम्भ के रूप में, मुझे बताया गया है कि शिक्षा मंत्रालय एक पुस्तिका तैयार कर रहा है जो इस प्रणाली को जारी करने में अध्यापकों और पाठ्य पुस्तकें लिखने वाले का मार्गदर्शन करेगी। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि इस प्रयत्न में वर्तमान या नई स्थापित होने वाली किसी भी स्वयं सेवी संस्था से पूरी सहायता ली जायेगी, क्योंकि यह राष्ट्रीय प्रयास केवल सरकारी अभिकरण द्वारा ही शीघ्र पूरा नहीं किया जा सकता है।

यह बताया गया है कि कुछ खण्ड, विशेषतया खण्ड ५, ६ और ८, अनावश्यक हैं। यह भी सुझाव दिया गया कि और परिभाषायें भी रखी जानी चाहियें थीं। श्री तेलकीकर ने कहा कि सभी परिभाषायें खण्ड २ के अन्तर्गत आनी चाहियें। यह विधेयक मुख्यतया बाटों और मापों के सम्बन्ध में है किन्तु हमने समय, विद्युत्धारा और प्रकाश की तीव्रता की परिभाषा भी कर दी है। अतः इन तीनों को अलग-अलग

खण्डों में रखा गया है, ताकि इनमें परस्पर भेद किया जा सके। इन मामलों के लिये हम पहली बार प्रमाप निर्धारित कर रहे हैं। 'ओहम' और 'बाट' जैसी सहायक बातें अत्यावश्यक नहीं हैं। किन्तु, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हमें आवश्यक विधान प्रस्तुत करना पड़ेगा।

इस सम्बन्ध में, मैं श्री मुकर्जी के सुझावों से पूर्णतया सहमत हूं कि इन प्रविधिक (टेक्निकल) मामलों को एक वैज्ञानिक आयोग जैसी प्रविधिक (टेक्निकल) संस्था द्वारा किया जाना चाहिये और उसे इन प्रस्थापनाओं आदि की आवश्यकताओं के बारे में संसद् को परामर्श देना चाहिये। फिलहाल जो भी प्रमाप निर्धारित किये गये हैं, वे उपयोगी सिद्ध होंगे और वे कामचलाऊ और आवश्यक हैं। देश में टेक्नोलोजी के विकास और औद्योगिक उपक्रमण और प्रगति के साथ-साथ हमें निश्चय ही और अधिक परिभाषाओं और विधानों की आवश्यकता पड़ेगी, किन्तु फिलहाल हमें इसे सफल बनाना चाहिये।

मित्रों ने हमें बताया है कि इसके लिये कितने अधिक शिक्षात्मक प्रचार की आवश्यकता होगी। श्री कामत ने अपने अनुभव से बताया है कि सिक्कों के बारे में पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया है (**अन्तर्बाधा**)। हमारे जैसे लोकतन्त्रात्मक देश में हमें नई बातों के प्रचार के लिये जनता और सरकार के शिक्षात्मक प्रचार के क्षेत्र में किये गये प्रयत्नों पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं बताना चाहता हूं—कि श्री कामत प्रैस के बारे में चाहें कुछ भी कहें—पुस्तिकाओं आदि को स्वीकार कराना सरल नहीं है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि भारत के प्रमुख समाचार कोई प्रचार सामग्री स्वीकार करने से पहले यह देखते हैं कि वह पूर्ण रूप से शुद्ध और अत्यावश्यक हो।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आशंका प्रकट की है कि संक्रमण काल में कुछ धोखेबाजी और ठगी होगी। मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि बाटों और मापों की जांच की व्यवस्था किये जाने के बाद धोखेबाजी और ठगी की संभावनायें इस समय की अपेक्षा बहुत कम हो जायेगी।

श्री तेलकीकर ने कहा कि कार्यक्रम में अधीनस्थ विधान को बहुत अधिक स्थान दिया गया है। स्पष्टतया वह खण्ड १२ का निर्देश कर रहे हैं। मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि मेरे विचार में सारी प्रणाली ऐसी है कि बाटों और मापों की गौण बाटों और मापों की परिभाषा आप उससे अच्छी नहीं कर सकते जो हमने खण्ड १२ में की है। इसमें कहा गया है कि :

> "केन्द्रीय सरकार, सरकारी सूचनापत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके, धाराओं ३ और ४ और धाराओं ६ से ११ में उल्लिखित बाटों तथा माप के एककों के सम्बन्ध में इन बाटों तथा मापों के परिमाण तथा नाम घोषणा इस अधिनियम के अन्तर्गत कर सकती है। परन्तु ऐसा कोई भी गौण एकक ऐसे किसी भी एकक का दस का पूर्णांक (सकारात्मक और नकारात्मक) होगा।"

मेरे विचार में खण्ड १२ के द्वारा सरकार का स्वविवेक बहुत कुछ सीमित कर दिया गया है प्रत्येक एकक १० का गुणक होना चाहिये और वह १० के गुणकों से अधिक नहीं हो सकता है। अतः मेरे विचार से संसद् द्वारा विधान बनाने के सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं है। मेरा यह भी निवेदन है कि अधिसूचनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने से पहले, इन प्रारूप अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखा जायेगा, ताकि संसद् सदस्य उनकी आलोचना कर सकें। कुछ भी हो, जनमत ज्ञात किया जाना है और उस पर विचार किया जाना है।

मुझे नामों सम्बन्धी खण्डों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पूर्ववक्ताओं द्वारा इन पर सविस्तार चर्चा की जा चुकी है और मुझ से अधिक अच्छी तरह उन्होंने चर्चा की है। मैं केवल इतना

[श्री कानूनगो]

कहना चाहता हूं कि नये शब्द गढ़ने की बजाय, यदि उन शब्दों का प्रयोग किया जाये, जो संसार के एक बड़े भाग में प्रचलित हैं और जो बोलने में इतने सरल हैं कि वे हमारी बहुत-सी भाषाओं में प्रचलित हो जायेंगे तो अधिक अच्छा होगा। संभव है कि किलोग्राम या मीटर जसे शब्द एक काश्मीरी या मलयाली द्वारा भिन्न-भिन्न तरीकों से बोले जायें, किन्तु मूल शब्द को समझना सदैव सम्भव होगा।

मेरा काम बहुत रुचिकर रहा है। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि विधेयक में कुछ शाब्दिक अशुद्धियां हैं, जो ठीक कर ली जायें।

पृष्ठ २, पंक्ति ६, १३ और १५ में शब्द "मीटर" के हिज्जे ठीक कर लिये जायें।

पृष्ठ ३, पंक्ति ३५ में शब्द, "of" ["का"] निकाल दिया जाये।

पृष्ठ ५, पंक्ति २४ में

"standard of" ["का प्रमाप"] के स्थान पर "standard" ["प्रमाप"] पढ़िये।

†**सभापति महोदय** : इन्हें कार्यालय द्वारा ठीक किया जा सकता है।

†**श्री कानूनगो** : आपकी अनुमति से मैं एक संशोधन खण्डवार विचार के समय प्रस्तुत करूंगा।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"दशमिक प्रणाली पर आधारित बाटों तथा मापों के मान स्थापित करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ६ तक

†**सभापति महोदय** : खण्ड २ से ६ तक के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है। मैं उन्हें मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २ से ६ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ६ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ७—तापमान का क्रम

†**श्री कानूनगो** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ ३, पंक्ति ७ में,

"centigrade scale" ["सैंटीग्रेड क्रम"] के बाद ये शब्द "otherwise known as celsius" ["जिसे अन्यथा सेल्सियस कहा जाता है"] रखे जायें।

†**डा० सुरेश चन्द्र** (औरंगाबाद) : यह किस भाषा का शब्द है ?

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि पृष्ठ ३, पंक्ति ७ में,

"centigrade scale" ["सैंटीग्रेड क्रम"] के बाद ये शब्द "otherwise known as celsius" ["जिसे अन्यथा सेल्सियस कहा जाता है"] रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खण्ड ८ से १८

†**सभापति महोदय** : अन्त में मैं खण्ड ८ से १८ तक को और दो अनुसूचियों को मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ८ से १८ विधेयक का अंग बने"

†**श्री कामत** : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सदन को यह बतायें कि ये नियम कब तक बन जायेंगे ताकि हम जान सकें कि सरकार इस विधेयक को कितनी जल्दी क्रियान्वित करना चाहती है ?

खण्ड १४ के बारे में, मुझे आशा है कि पुराने पैसे के प्रचलन के बन्द होने से पहले नया पैसा और पुराना पैसा कुछ वर्षों तक साथ-साथ चलते रहेंगे ।

प्रामाणिक बाटों और मापों के बारे में, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या नये बाट और माप भी पुराने बाटों और मापों के साथ काम में लाये जाते रहेंगे ?

यदि पुराने बाटों के साथ-साथ नये बाटों का प्रयोग होना है तो चालू प्रणाली में एकरूपता लाने के लिये सरकार को निरीक्षण व्यवस्था को कठोर करना होगा । यदि अभी भी माप और तौल के बाट पुराने बाटों के साथ-साथ चालू रहेंगे तो इसमें बड़ी गड़बड़ी होगी और सरकार इसमें कैसे एकरूपता ला सकेगी ।

†**सभापति महोदय** : यह अभिप्राय नहीं है ।

†**श्री कामत** : तो इसे स्पष्ट कर दिया जाये । सिक्कों में तो एकरूपता है १२ पाई और १६ आने, साथ ही अब एक और 'नया पैसा' वाली एकरूप पद्धति लागू की जा रही है । इससे देश की जनता को काफी परेशानी होगी । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें ।

†**श्री कानूनगो** : पहली बात के बारे में मेरा निवेदन है कि मैं कोई निश्चित समय तो नहीं बता सकता, परन्तु यह अवधि राज्य विधान मण्डलों के परामर्श पर निर्भर होगी और तब नियम अगली संसद् के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जायेंगे ।

संक्रमण काल के लिये, विधि अनुसार अधिक से अधिक तीन वर्ष तक दोनों पद्धतियों के चालू रहने की व्यवस्था है । इस मामले की कठिनाइयों को हम पूर्णतया समझते हैं, और इस सम्बन्ध में कदाचार को रोकने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा । यह किस प्रकार किया जा सकता है इसका निर्णय राज्य सरकारों से परामर्श करके ही किया जायेगा क्योंकि इसका प्रशासन तो उनके ही हाथ में होगा । बाद में इस संक्रमण काल की कठिनाइयों को कम करने के सम्बन्ध में क्या कुछ किया जायेगा इसकी माननीय सदस्यों को पूरी सूचना दे दी जायेगी । यह बहुत कुछ उस निरीक्षण, नियन्त्रण और दण्ड पर निर्भर होगा जिसकी व्यवस्था राज्य अधिनियमों में की जायेगी ।

†**श्री कामत** : यह तो ठीक है कि दोनों प्रणालियां एक साथ चलेंगी, परन्तु अब तो कोई भी पद्धति नहीं है ।

†**श्री कानूनगो** : विधिक रूप से तो एक ही प्रणाली है यद्यपि आज वह लागू नहीं की गई है । आजकल बंगाल का 'मन' बहुत से स्थानों पर कानूनन प्रमाणिक माना जाता है । परन्तु कोई व्यवस्था न होने के कारण उसे लागू नहीं किया जा रहा है । जो भी व्यवस्था की जायेगी उसकी परीक्षा इसी म है कि बिना किसी प्रकार की गड़बड़ी के पुरानी पद्धति का स्थान नई पद्धति ले ले ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री कामत** : माननीय मंत्री यह स्वीकार करते हैं कि एकरूपता लाने के लिये अभी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार गत दस वर्षों में यह भी नहीं कर सकी है। नयी पद्धति को अपनाने से पूर्व पुरानी पद्धति का क्या होगा ।

†**श्री कानूनगो** : नयी पद्धति को सीधे ही लागू करना सरल है। नयी पद्धति के लागू करने से पुरानी पद्धति समाप्त हो जायेगी। संक्रमण अवधि को कम से कम किया जायेगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : सरकार जिस क्रमबद्ध कार्यक्रम को कार्यान्वित करना चाहती है क्या उसके सम्पन्न होने से पहले उस पर सदन में चर्चा करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि सन् १९४९ में भारतीय मानक संस्था की एक भार और माप उपसमिति ने एक रिपोर्ट दी थी और इसके लिये त्रिस्तरीय अवधि निर्धारित की गई थी, जिसमें कम से कम ११ और अधिक से अधिक १५ वर्ष की अवधि थी। पहली अवधि में नयी और पुरानी पद्धति को साथ-साथ चलना था। तो क्या अब इस क्रमबद्ध कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर संसद् को प्राप्त होगा ?

†**श्री कानूनगो** : मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरा उत्तराधिकारी ही इसे करेगा। संसद् में इसकी चर्चा होनी तो आवश्यक है। हमें आशा है कि हम उस व्यवस्था को पूर्ण कर सकेंगे जिसके द्वारा संसद् इस सम्बन्ध में की गई प्रगति के साथ सावधिक सम्पर्क बनाये रख सके। यह व्यवस्था भी राज्य सरकारों की मंत्रणा पर निर्भर होगी ।

†**सभापति महोदय** : मेरे विचार से वर्तमान बाटों और मापों को तीन वर्ष से अधिक चालू नहीं रहने दिया जायेगा। विधेयक में समय-सीमा दे दी गई है। यह सरकार पर निर्भर नहीं होगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ से १८ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ८ से १८ विधेयक में जोड़ दिये गये।

प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयीं।

खण्ड १

†**सभापति महोदय** : अब मैं विधेयक का नाम, अधिनियमन सूत्र और खण्ड १ को मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा ।

†**श्री कामत** : खण्ड १ के उपखण्ड (२) में कहा गया है कि यह अधिनियम जम्मू और काश्मीर राज्य के अतिरिक्त सारे भारत पर लागू होगा। अब तो भारत से जम्मू और काश्मीर राज्य के विलय का मामला और भी प्रगति कर गया है और हाल ही में उसने अपना संविधान भी बनाया है। आर्थिक, प्रशासनिक और वैधानिक तौर पर शेष भारत के साथ विलय हो जाने के सम्बन्ध में भी पग उठाये जा रहे हैं। इसलिये इस बात को प्रत्येक विधेयक में क्यों रखा जाता है। मैं समझता हूं प्रत्येक विधान पर इस प्रकार का उपबन्ध रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण संविधानिक अथवा राजनीतिक मामलों से सम्बन्धित विधानों में यदि आवश्यक हो तो इसे रखा जा सकता है। काश्मीर के प्रधान मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर विलय की घोषणा कर दी है। कई एक संविधानिक उपबन्ध उक्त राज्य में लागू कर भी दिये गये हैं। व्यवहारिक रूप से वह भारत का ही एक अंग है। परन्तु सरकार प्रत्येक मामले में संविधान की धारा ३७० और सन् १९५४ के राष्ट्रपति के आदेश की चर्चा करके एक बहाना बना देती है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सरकार को किन्हीं विशेष विषयों से सम्बन्धित किसी प्रकार की प्रस्थापनाओं को लागू करने से पूर्व राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिये, और यदि वह न माने तो उसका कारण पूछना चाहिये। जब विलय हो चुका है तो प्रत्येक बात के लिये राज्य-सरकार पर आश्रित नहीं रहना चाहिये।

अब समय आ गया है कि काश्मीर का प्रधान मंत्री अपने आपको मुख्य मंत्री कहे, और उक्त राज्य का प्रबन्ध वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन न होकर गृह-कार्य मंत्रालय के आधीन ही हो।

शायद मंत्री महोदय उसका उत्तर न दे सकें। इसका उत्तर केवल प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री ही दे सकते हैं। परन्तु आगे से इस बात का ध्यान रखा जाय कि जब भी कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाये तो हमें यह बता दिया जाये कि उसे जम्मू और काश्मीर राज्य पर क्यों लागू नहीं किया जा रहा है और मामले पर परामर्श करने पर जम्मू और काश्मीर सरकार ने उसे अस्वीकार करने के क्या कारण बताये हैं, और क्या सरकार की दृष्टि में वे कारण ठीक हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मैं कहूंगा कि विलय की सब बातें मज़ाक हैं और जम्मू और काश्मीर राज्य भारत में नहीं प्रत्युत भारत जम्मू और काश्मीर राज्य में विलय हो रहा है। सदन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यदि कोई उपयुक्त और विशेष कारण न हो तो प्रत्येक विधान जम्मू और काश्मीर पर लागू होना चाहिये।

†**श्री कानूनगो** : उनके प्रश्न का उत्तर उनके भाषण में ही आ गया है, परन्तु मैं उनका सुझाव उचित व्यक्तियों तक पहुंचा दूंगा।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री कानूनगो** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं प्रस्ताव करता

"कि सड़क परिवहन निगम अधिनियम, १९५० में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, कि बहुत से राज्यों ने गत कुछ वर्षों में सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। यह राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन सेवायें या तो विभागीय रूप से चलाई जा रही हैं अथवा ऐसे निगमों द्वारा चलाई जा रही हैं जो कि सड़क परिवहन अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत बनाये गये हैं। कुछ वर्ष हुए, भारत सरकार ने यह निर्णय किया था, कि रेल-सड़क समन्वय के लिये

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अलगेशन]

यह आवश्यक था कि इन राष्ट्रीयकृत सेवाओं को ऐसे परिनियत सार्वजनिक निगमों द्वारा चलाया जाये जिनमें राज्य सरकार, रेलवे और जहां भी संभव हो, निजी चालकों के आर्थिक हित हो सकते हों। संविधान के अनुसार, निगम के बनाये जाने और कृत्यों से सम्बन्धित औपचारिकताओं को केन्द्रीय विधान द्वारा परिभाषित किया जाना आवश्यक है। सड़क परिवहन निगम अधिनियम, १९५० द्वारा ऐसा किया गया था।

इस सड़क परिवहन निगम अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत चार सड़क परिवहन निगम स्थापित किये गये हैं। इनका उद्देश्य सम्बद्ध राज्यों में अच्छी और सस्ती परिवहन पद्धति की व्यवस्था करना है। ये हैं, बम्बई राज्य सड़क परिवहन निगम, कच्छ राज्य परिवहन निगम, सौराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम और पेप्सू राज्य सड़क परिवहन निगम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि जबकि बम्बई सड़क परिवहन तीन विभिन्न राज्यों अर्थात बम्बई, मैसूर और राजस्थान में काम करना था तो १ नवम्बर, १९५६ से बम्बई राज्य में एक से अधिक निगम कार्य कर रहे थे।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा १०९ के अन्तर्गत वर्तमान सड़क परिवहन निगम उन स्थानों पर जहां वे इस तिथि से पहले काम कर रहे थे १ नवम्बर, १९५६ से उन निदेशों के अन्तर्गत जो केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में दे, कार्य कर सकते थे। राज्य-सरकारों के कहने पर इन परिनियत निगमों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था कर दी गयी थी। परन्तु बम्बई और मैसूर राज्यों की ओर से यह कहा गया था कि एक राज्य परिवहन निगम के किसी ऐसे भाग में जो राज्य की सीमा से बाहर हो कार्य करने से या किसी राज्य में एक से अधिक निगमों के चलने से प्रशासकीय कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती थीं। इस कारण यह सुझाव दिया गया कि सड़क परिवहन अधिनियम, १९५० को संशोधित करके उन राज्यों के पुनर्गठन के अनुसार सड़क परिवहन निगमों को पुनर्गठित कर लिया जाय। यह बताया गया कि इससे बम्बई राज्य सड़क परिवहन निगम का पुनर्गठन किया जा सकेगा और उस निगम की आस्तियों और दायित्वों के समुचित अंशों को मैसूर और राजस्थान के नये राज्यों को हस्तान्तरित किया जा सकेगा। केवल तभी कच्छ और सौराष्ट्र निगमों को बम्बई राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ मिलाया जा सकेगा। भूतपूर्व हैदराबाद और मध्य प्रदेश राज्यों से जिन क्षेत्रों का हस्तांतरण बम्बई को किया गया, वहां ये सेवायें क्रमशः हैदराबाद राज्य और एक समवाय द्वारा चलाई जा रही थीं। इन उपक्रमों को भी बम्बई राज्य सड़क परिवहन निगम में विलीन करना होगा। क्योंकि सड़क परिवहन निगमों के पुनर्गठन के लिये कोई शीघ्र कार्यवाही की जानी थी, अतएव १ नवम्बर, १९५६ को एक अध्यादेश प्रकाशित किया गया था। इस सदन के समक्ष जो विधेयक है उसका उद्देश्य इस अध्यादेश को संसद् द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित करना है।

बम्बई राज्य सड़क परिवहन निगम के आस्तियों और दायित्वों को मैसूर और बम्बई राज्यों के बीच विभाजन करने के प्रश्न पर दोनों राज्यों की सरकारों के मध्य पहले ही समझौता हो गया है। राजस्थान सरकार के विचार ज्ञात होने पर, बम्बई राज्य को सरकार और सम्बन्धित क्षेत्रों में सड़क परिवहन सेवा की इकाइयों के विभाजन और एकीकरण के लिये आवेदन करेगी। योजना के प्राप्त होने और उसका परीक्षण किये जाने के पश्चात योजना अथवा योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा समय पर उचित आदेश दिये जायेंगे।

श्रीमान, यह एक अविवादास्पद विधान है, और मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : मुझे खेद है कि माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि यह प्रस्ताव अविवादी स्पद है। परन्तु मेरा इससे मतभेद है। इसके द्वारा राज्य परिवहन के सम्बन्ध में राज्यों के अधिकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा रहे हैं। दूसरे, इससे कार्यपालिका को विभिन्न राज्यों में सड़क विकास योजनाओं में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है।

क्या यह उचित है कि कार्यपालिका को सड़क विकास योजनाओं में परिवर्तन करने के अधिकार दिये जायें? खण्ड २ की उपधारा (२) के अनुसार परिवहन सम्बन्धी मामलों में सरकार महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकती है। उपखण्ड (३) के भाग (क) के अनुसार सरकार निगम का क्षेत्र कम या अधिक कर सकती है। इसी उपखण्ड के भाग (क) के अनुसार निगम को भंग भी किया जा सकता है। सरकार इस प्रकार राज्य परिवहन की नीति पर भी पूरा नियन्त्रण करना चाहती है। मुझे विश्वास है सभा इस बात पर सहमत होगी कि परिवहन के राष्ट्रीयकरण और राज्य परिवहन सेवा की विस्तार सम्बन्धी नीतियां केन्द्रीय सरकार की कार्यपालिका को सौंपी जायें। मेरा विचार है कि सरकार ने ऐसा करके भूल की है। परिवहन के मामले में राज्यों के अधिकार अधिक हैं। यदि राज्य मोटर परिवहन का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है तो भारत सरकार उस निर्णय में कैसे परिवर्तन कर सकती है? वह निगम के अधिकारों में कैसे परिवर्तन कर सकती है और कैसे उसे भंग कर सकती है? यह तो राज्यों का विषय है। केन्द्र तो इस मामले में केवल सलाह दे सकता है। मेरा विश्वास है कि सदन का कोई सदस्य भी सरकार को इतने अधिकार देने के पक्ष में नहीं होगा। इससे राष्ट्रीयकरण मज़ाक बन कर रह जायेगा।

यदि आप विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीयकरण कार्यक्रमों को देखें, तो आपको मालूम होगा कि या तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं है और यदि किया है तो देर से किया है। कई मामलों में उसकी कार्यवाही का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है। सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में, भारत सरकार और योजना आयोग ने विभिन्न राज्य सरकारों को संभवतः यह सलाह दी है कि वे इन योजनाओं को क्रमशः कार्यान्वित करें। लेकिन यह सलाह तब दी गई थी जबकि वे अपनी-अपनी योजनाओं को बहुत पहले ही आरम्भ कर चुकी थीं। इसीलिये, राज्य सरकारें न तो उस सलाह के अनुसार कार्य ही कर सकीं और न उन्होंने उसकी परवाह ही की।

और अब भारत सरकार ने राज्य परिवहन के राष्ट्रीयकरण की प्रगति में हस्तक्षेप करके भारी ग़लती की है। इतने विलम्ब से इस कार्यवाही को करने के कारण ही भारत सरकार को अधिक प्रभावी शक्तियां ग्रहण करने की आवश्यकता प्रतीत हुई है। जिन भी राज्य सरकारों ने भारत सरकार की राय पर ध्यान नहीं दिया है, भारत सरकार राज्यों के पुनर्गठन के नाम पर उन राज्यों के सड़क परिवहन के कार्यक्रम और उस से सम्बन्धित नीति में एक कार्यपालक आदेश द्वारा परिवर्तन कर देना चाहती है। राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रम को नियंत्रित करने का यह तरीका उचित नहीं है। इसके लिये सरकार को एक ऐसी समिति नियुक्त करनी चाहिये जो सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के समूचे प्रश्न की जांच करके यह निश्चित करे कि क्या पूर्ण राष्ट्रीयकरण अथवा आंशिक राष्ट्रीयकरण वांछनीय होगा। केन्द्रीय सरकार के अनुदेश में तो केवल यही कहा गया था कि राज्य-सरकारों को राष्ट्रीयकरण धीरे-धीरे ही करना चाहिये।

इस सम्बन्ध में सभी राज्यों ने कोई एकरूप नीति नहीं अपनाई है। इसलिये राष्ट्रीयकरण के मामले में बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है। केन्द्रीय सरकार ने सलाह देने का कार्य भी ठीक तरह से नहीं किया है।

राज्यों के पुनर्गठन के बाद, इसमें कुछ अनियमिततायें भी आ गई हैं। बम्बई में सड़क परिवहन का पूरा-पूरा राष्ट्रीयकरण किया हुआ है, और अब बम्बई के कुछ क्षेत्र मैसूर राज्य में आ गये हैं, जहां

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री म० शि० गुरुपादस्वामी

बम्बई की भांति उसका प्रबन्ध राज्य निगम द्वारा न किया जा कर विभाग के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है। मैसूर सरकार ने कोई भी राष्ट्रीयकृत निगम इसलिये स्थापित नहीं किया है क्योंकि उसे कुछ स्वायत्त शक्तियां देनी पड़तीं और तब राज्य और मंत्रियों की शक्तियां सीमित हो जातीं।

केन्द्रीय अधिनियम में व्यवस्था है कि एक सड़क परिवहन निगम स्थापित किया जाना चाहिये। लेकिन विभिन्न राज्य-सरकारों ने इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं किया है। केन्द्र ने या तो कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है, या फिर उसने देश में सड़क परिवहन के विकास की उपेक्षा ही की है। आज प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीयकरण के रूप भिन्न-भिन्न हैं। राज्यों को स्वायत्तता देना तो वांछनीय है, पर दृष्टिकोण की एकरूपता तो केन्द्र को ही निश्चित करनी चाहिये। इसमें केन्द्र असफल रहा है।

राष्ट्रीयकरण के स्वरूप का निर्णय करने की स्वायत्तता तो राज्यों को रहनी चाहिये, पर भारत सरकार को उनमें एकसूत्रीयता पैदा करनी चाहिये थी। इसीलिये, इस पूरे मामले में बड़ी गड़बड़ी फैल गई है और हम राष्ट्रीयकरण की समस्या के प्रति अपनाये गये इतने विविध दृष्टिकोणों का समर्थन करने में हिचक रहे हैं। इसका दायित्व भारत सरकार पर है।

क्या यह वांछनीय होगा कि भारत सरकार को निगमों को भंग करने, उनका पुनर्गठन करना, उनको एकीकृत करने और उनके क्षेत्रों का विस्तार करने आदि के विषय में निर्णय करने की अधिक शक्ति प्रदान की जाये ? मुझे भय है कि केन्द्र इन शक्तियों का दुरुपयोग करेगा। यह शक्ति संसद् द्वारा पारित अधिनियम द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिये।

†**सभापति महोदय** : मूल सिद्धान्त तो है ही कि योजना सम्बन्धित राज्यों द्वारा ही भेजी जानी चाहिये।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : यह तो ठीक है, लेकिन अन्तिम निर्णय करने के लिये, उसमें परिवर्तन करने के लिये केन्द्र को राज्यों से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

†**सभापति महोदय** : केन्द्र को इस मामले में कोई उपक्रमण नहीं करना है। योजना राज्य द्वारा ही भेजी जानी चाहिये।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : राज्यों से परामर्श करके केन्द्र उन योजनाओं को अनुमोदित करेगा, लेकिन बाद में अनुमोदित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये .....

†**सभापति महोदय** : मैं तो इससे यह समझा हूं कि योजना को प्रभावी बनाने के लिये अनुमोदन आवश्यक है और दो सम्बन्धित राज्यों द्वारा योजना भेजी जायेगी तब केन्द्र उसका अनुमोदन करेगा।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : अभी तो दो ही राज्य हैं, पर बाद में कई राज्य इसमें सम्मिलित होंगे। राज्यों से परामर्श करके योजनाओं में परिवर्तन किये जा सकते हैं, लेकिन मुझे भय है कि केन्द्र राज्यों से परामर्श किये बिना ही उनमें परिवर्तन कर देगा। केन्द्र पहले परामर्श कर लेगा, लेकिन बाद में राज्यों की अनुमति के बिना परिवर्तन किये जा सकते हैं।

सड़क परिवहन की क्या समस्यायें हैं ? माल और यात्रियों दोनों ही के यातायात की आवश्यकताओं को रेलवे पूरा नहीं कर सकी है। इसीलिये, जनता को निजी बसों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इसकी अवस्था भी ठीक नहीं है। निजी बसों की भाड़ादरों, माल के निश्चित परिमाण तथा सेवा आदि के सम्बन्ध में बड़ी अनियमिततायें हैं। सरकारी बसों में भी मनमानी चल रही है। इससे यात्रियों में बड़ा असंतोष है। जनता यह तो आशा करती ही है कि सरकारी बसों के सम्बन्ध में सेवा अपेक्षाकृत अच्छी हो जायेगी। कम से कम मेरे राज्य में तो यह नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

कन्डक्टरों और ड्राइवरों आदि की नियुक्ति में और अन्य बातों में भी बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है। इनकी नियुक्तियां लोक-सेवा आयोग के अधीन नहीं रखी गई हैं। अधिकारियों द्वारा इनकी सीधी भर्ती की जाती है। इसके लिये उन्हें रिश्वतें भी दी जाती हैं। नियमों का न तो पालन किया जाता है और न राज्य-सरकारों ने इन नियमों की जांच-पड़ताल ही की है।

राज्य सड़क परिवहन के कार्य में इतनी अधिक अनियमिततायें हैं कि अब जनता को उसके राष्ट्रीयकरण पर भी पूर्ण सन्तोष नहीं हो रहा है। निजी बसों की कटु आलोचक जनता भी अब उनकी प्रशंसा करने लगी है। राज्य के एकाधिकार में चलने वाली सेवाओं की दशा बहुत ही बिगड़ गई है। पुलिस उनकी जांच नहीं करती है, लेकिन निजी बसों पर वह नियन्त्रण करती है। सरकारी परिवहन पर कोई नियन्त्रण नहीं है। उसके अपने अधिकारी होते हैं, लेकिन ये अधिकारी भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहते हैं। इसीलिये जनता सरकारी बसों की कटु आलोचक बन गई है।

इतना ही नहीं, राज्य सरकारों की नीति और केन्द्र के अनुदेश भी कुछ इस प्रकार के हैं कि उनसे यह पता ही नहीं चलता कि निजी सेवाओं का भविष्य क्या होगा। अब इस सम्बन्ध में कुछ परिपत्र जारी किये गये हैं और निजी संचालकों को भी राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कुछ आश्वासन दिये गये हैं। लेकिन, अभी तक वह सारा मामला प्रारम्भिक अवस्था में ही है। निजी बसों के मालिकों को अपने भविष्य के प्रति कोई विश्वास नहीं रहा है। देश में सड़क परिवहन के विकसित किये जाने की बहुत अधिक मांग है, लेकिन अब निजी मालिक बसें चलाने के लिये आगे नहीं आना चाहते हैं। सरकार के संसाधन भी सीमित ही हैं। वह कुछ ही क्षेत्रों में सरकारी बसें चला सकती है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में निजी बसों के मालिक अपनी बसें चलाने को तैयार नहीं हो रहे हैं।

†**सभापति महोदय** : यह एक संशोधन विधेयक है, और आप जिन विषयों का उल्लेख कर रहे हैं वे परिवहन के समग्र प्रश्न से सम्बन्धित हैं। संशोधन विधेयक का एक विशेष प्रयोजन होता है।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : सरकार राष्ट्रीयकरण के क्षेत्र को विस्तृत कर सकती है, या उसमें परिवर्तन.....

†**सभापति महोदय** : इस विधेयक द्वारा कैसे ? व्यवस्था क्या है ?

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : सरकार को निगम का क्षेत्र विस्तृत करने के सम्बन्ध में शक्ति प्रदान की गई है .....

†**सभापति महोदय** : वह तो केवल योजना के प्रभावी बनाने के लिये है। केन्द्रीय सरकार राज्यों से किसी निगम को हटा देने के लिये नहीं कह सकती।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : इस सम्बन्ध में केन्द्र ने जो कुछ भी किया है वह असफल रहा है।

अभी तक परिवहन को सहयोजित भी नहीं किया गया है। राज्य-सरकारों की राष्ट्रीयकरण की योजनाओं के बाद भी जनता को किसी सुसंचालित सेवा का लाभ प्राप्त नहीं हो सका है। मैं यही बताना चाहता हूं। सरकार को सड़क परिवहन के नीति विषयक मामलों का निर्णय करने के लिये अधिक शक्तियां ग्रहण करने के स्थान पर, अपना सलाह देने का कार्य कुछ अच्छे ढंग से करना चाहिये।

इसीलिये, मेरा सुझाव है कि सड़क परिवहन की आवश्यकताओं और उसके विकास की एक ब्योरेवार जांच कराने के लिये शीघ्र ही एक समिति स्थापित की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : यह संशोधन विधेयक उस अध्यादेश के स्थान पर है जो राज्यों के पुनर्गठन से कुछ पहले प्रख्यापित किया गया था। सड़क परिवहन निगम अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत सरकार मूल राज्य के निगमों को मिला देने की शक्ति ग्रहण कर रही है। एक बात ध्यान देने योग्य है। हैदराबाद राज्य के साथ-साथ वहां की सड़क परिवहन व्यवस्था भी तीन भागों में विभक्त हो गई है। हमने सुझाव दिया था कि राज्यों का कार्य सुचारु रूप से चलने तक इन तीनों भागों को आन्ध्र प्रदेश की सरकार ही चलाये और मुनाफ़े अनुपात के हिसाब से बांट दिये जायें। लेकिन मैसूर और बम्बई सरकारें इससे सहमत नहीं हुईं। उन्होंने हमारे इस वैकल्पिक प्रस्ताव को भी नहीं माना कि इसे केन्द्र के अधीन कर दिया जाय। इस विभाजन से हैदराबाद सड़क परिवहन व्यवस्था की कार्य-क्षमता को बड़ी चोट पहुंची है। सन् १९३२ में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और २४ वर्षों तक बड़ी कुशलता से अपने विभागों द्वारा हैदराबाद सरकार ने इसको संचालित किया है। यद्यपि इस बीच केन्द्रीय सरकार उस पर बार-बार एक सड़क परिवहन निगम स्थापित करने के लिये ज़ोर देती रही थी।

हैदराबाद सरकार ने एक सड़क परिवहन निगम न बना करके बुद्धिमानी ही की थी, क्योंकि विभागीय तौर पर उसने इसका प्रबन्ध भारत के अन्य राष्ट्रीयकृत व्यवस्थाओं से कहीं अच्छी तरह चलाया है।

इस सड़क परिवहन व्यवस्था के कर्मचारियों को काफी सुविधायें प्राप्त थीं। सन् १९३२ से १९५१ तक यह व्यवस्था रेलवे का ही भाग रही थी। उनको रेलवे कर्मचारियों जैसी सुविधायें प्राप्त थीं। सन् १९५१ में निज़ाम राज्य रेलवे को जी० आई० पी० रेलवे में मिला कर मध्य रेलवे बनाई गई थी, तब इसके पृथक किये जाने पर भी कर्मचारियों को वही सुविधायें मिलती रही थीं। ५ नवम्बर, १९५१ के बाद भर्ती किये गये कर्मचारियों के लिये ही सेवा की नयी शर्तें लागू की गई थीं। अब हैदराबाद राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्रों के बम्बई राज्य में मिल जाने पर, उस क्षेत्र की सड़क परिवहन व्यवस्था भी बम्बई सड़क परिवहन निगम में मिला दी जायेगी। मेरा अनुरोध है कि इस क्षेत्र के कर्मचारियों को, जो अब बम्बई सड़क परिवहन निगम के अधीन आते हैं, सेवा की पुरानी शर्तों पर ही रखा जाय। वे काफी पुराने कर्मचारी हैं। सेवा की पुरानी शर्तों और नयी शर्तों के बीच किसी एक को चुनने का अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिये। यदि आप उन्हें नये कर्मचारी मानेंगे तो उनकी सेवा १ नवम्बर १९५६ से आरम्भ हुई मानी जायेगी और उन्हें उपदान तथा भविष्य निधि तथा अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। बारसी लाइट रेलवे को मध्य रेलवे में मिलाते समय एक ऐसा कटु अनुभव हो चुका है। उस समय सरकार ने मेरा इस सम्बन्ध में संशोधन स्वीकार नहीं किया था। लेकिन बाद में बम्बई उच्च न्यायालय ने उन्हें छंटनी प्रतिकर दिलाया था हांलाकि उच्चतम न्यायालय ने उस निर्णय को अब ठुकरा दिया है। आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही उचित कार्यवाही करेगी। इसीलिये, मैं यह संशोधन रख रहा हूं कि बम्बई राज्य सड़क परिवहन निगम को स्थानांतरित किये जाने वाले कर्मचारियों को सेवा की नयी और पुरानी शर्तों में चुनाव करने का अधिकार दिया जाना चाहिये। इसमें कोई अधिक व्यय भी नहीं होगा।

योजना आयोग ने यह निर्धारित कर दिया है कि राष्ट्रीयकृत उपक्रमों के स्थानों पर सड़क परिवहन निगम स्थापित किये जाने चाहियें। लेकिन मेरा सुझाव है कि जहां भी वे सरकारी विभागों द्वारा संचालित हो रहे हैं, उन्हें उसी रूप में रहने दिया जाये। हां, यदि वह कार्यकुशल न हों, केवल तब ही निगम की बात सोची जानी चाहिये।

भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य और वर्तमान केरल राज्य में राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी प्रकार से चल रही है। देश भर में, वही एक ऐसा राज्य है जहां के सड़क परिवहन

†मूल अंग्रेजी में।

कर्मचारियों को निवृत्ति वेतन मिलता है। यात्रियों को भी उससे पूर्ण संतोष है । यह व्यवस्था सरकारी विभाग द्वारा संचालित की जाती है ।

सौराष्ट्र सड़क परिवहन निगम को विलीन किया जाने वाला है । उसका महा-प्रबन्धक एक ज़िला पुलिस अधीक्षक है । पुलिस अधिकारी को सड़क परिवहन निगमों का महाप्रबन्धक बनाना उचित नहीं है ।

मेरा अनुरोध है कि बम्बई या मैसूर राज्य सड़क परिवहन निगमों में स्थानांतरित किये गये कर्मचारियों को पहले की सभी सुविधायें मिलती रहनी चाहियें ।

†**श्री अलगेशन** :जैसा मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था, मैंने यह समझा था कि यह एक साधारण सा विधेयक था और सभा इससे सहमत होगी, परन्तु माननीय सदस्य श्री गुरुपादस्वामी ने कुछ प्रश्न उठाये हैं। जब मैं उनके भाषण को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने विधेयक के उद्देश्यों को गलत समझा था ।

यह विधेयक वस्तुत: राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप है जिसे इस संसद् ने स्वीकार कर लिया है । यह राज्यों के पुनर्गठन का ही प्रत्यक्ष परिणाम है ।

१ नवम्बर के पश्चात् बम्बई राज्य में भूतपूर्व सौराष्ट्र का क्षेत्र, भूतपूर्व कच्छ का क्षेत्र, हैदराबाद राज्य का मराठवाड़ा भाग, और मध्य प्रदेश राज्य का विदर्भ का भाग सम्मिलित है । भूतपूर्व बम्बई राज्य के कतिपय क्षेत्र—कर्नाटक का भाग और माऊंट आबू के समीप का कुछ-सा भाग—निकाल दिये गये हैं । ये भाग क्रमश: मैसूर राज्य और राजस्थान राज्य में सम्मिलित कर दिये गये हैं। नये बम्बई राज्य में तीन विभिन्न निगम हैं, अर्थात् सौराष्ट्र, कच्छ और बम्बई राज्य सड़क परिवहन निगम हैं । यह भी हुआ है कि बम्बई राज्य सड़क परिवहन निगम राजस्थान और मैसूर राज्यों में भी कार्य करेगा । अतएव इन असंगतियों को दूर करने और ऐसा प्रबन्ध करने के लिये कि एक राज्य विशेष में एक से अधिक सड़क परिवहन निगम न हों और यह प्रबन्ध करने के लिये भी कि कोई सड़क परिवहन निगम राज्य की सीमा से बाहर कार्य न करे, यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि यह आवश्यक था कि जब तक संसद् इस सम्बन्ध में कोई विधि न बनाये पुराना प्रबन्ध चालू रहे। अतएव इसका उपबन्ध स्वयं राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत ही किया गया है। यदि आप उस अधिनियम की धारा १०९ को देखें तो आप यह उपबन्ध पायेंगे कि जब तक संसद् अन्यथा प्रबन्ध न करें पूर्व-स्थिति बनी रहेगी। इस बात की जांच की गई थी कि क्या उस सड़क परिवहन निगम अधिनियम के अधीन, जिसे केन्द्रीय विधान मंडल ने अधिनियमित किया है, केन्द्र अथवा राज्य सरकारें विभिन्न सड़क परिवहन निगमों को कतिपय ऐसी आस्तियों के, जो बम्बई सड़क परिवहन निगम ने मैसूर राज्य या राजस्थान राज्य को दी जायेगी, हस्तान्तरण का निदेश जारी कर सकती हैं अथवा ये आदेश दे सकती हैं कि हैदराबाद अथवा मध्य प्रदेश निगमों की आस्तियां ले ली जायें। विधि सम्बन्धी राय यह थी कि सड़क परिवहन निगम अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार अथवा सम्बन्धित राज्य सरकारों के लिये ऐसे निदेश जारी करना सम्भव नहीं था। अतएव इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करना आवश्यक था। मैं समझता हूं कि मैंने इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने का कारण संक्षेप में बता दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि यह क्यों आवश्यक है कि इस सभा द्वारा एक अलग विधान अधिनियमित किया जाये ।

इतना कहने के पश्चात् मैं माननीय सदस्य श्री गुरुपादस्वामी द्वारा व्यक्त की गई कुछ आशंकाओं को दूर करना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा कि क्योंकि केन्द्रीय सरकार अथवा कार्यपालिका को

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री अलगेशन]

नई प्रबन्ध व्यवस्था स्थापित किये जाने का आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, इस से उन्हें विभिन्न राज्य सरकारों की नीतियों में रुकावट डालने का बहाना मिल जायेगा। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को जो कार्य करना है उसका स्पष्ट उल्लेख विधेयक में किया गया है। यह कार्य विभिन्न राज्य सड़क परिवहन निगमों को अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में कार्य करने के योग्य बनाना और दो या अधिक परिवहन निगमों अथवा निगम और विभागीय प्राधिकार के बीच आस्तियों और दायित्वों का विभाजन करने का उपबन्ध करना है, यह अधिकार केन्द्र ने ले लिया है। यह कार्य ठीक उसी योजना के अनुसार किया जायेगा जो राज्य सरकारें प्रस्तुत करेंगी। निस्संदेह इस उपबन्ध में इस बात का उल्लेख है कि केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से रूप भेद सहित अथवा वैसे ही योजना का अनुमोदन कर सकती है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि केन्द्र इस विषय में बाधा डालेगा। परन्तु जहां दो राज्य प्राधिकारों का सम्बन्ध हो, निबटारा कराने के लिये केन्द्र को बीच में आना पड़ेगा। यह बहुत सम्भव है कि मैसूर सरकार द्वारा जो योजना भेजी गई है और जो योजना बम्बई सरकार भेजेगी उन में कुछ बातों में अन्तर हो, ऐसे मामले में कुछ समन्वय कराना ही होगा। इसी प्रयोजन के लिये केन्द्र को हस्तक्षेप करना होगा। अन्यथा राज्य सरकारें जो योजनायें भेजेंगी केन्द्रीय सरकार उन्हें इस विधान के अधीन आदेश जारी करके कार्यान्वित करेगी। अतः जिस बात की आशंका है कि केन्द्रीय सरकार इस विषय में राज्य सरकारों की नीतियों में बाधा डालेगी या राज्य सरकारों की इच्छाओं के प्रतिकूल काम करेगी, बिल्कुल निर्मूल है। केन्द्रीय सरकार उन्हें सक्षम बनाने और उनमें समझौता कराने का कार्य करेगी और वह सम्बद्ध राज्य सरकारों की इच्छाओं में बाधा नहीं पहुंचायेगी। अतएव मेरे माननीय मित्र को इस विषय में कोई आशंका नहीं करनी चाहिये।

मेरे माननीय मित्र ने कुछ और बातें भी कहीं। संभवतः उन्होंने जो भी बातें कहीं उनमें से अधिकांश उस विधेयक के सम्बन्ध में संगत होंगी जिसे इस सभा ने हाल ही में पारित किया है, अर्थात् मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक। उन्होंने जो बातें कहीं हैं उनका सीधा सम्बन्ध चाहे इस विधेयक से न हो, फिर भी उनकी ओर ध्यान दिया जायेगा। और जिस किसी सुधार की आवश्यकता हुई और जिसे केन्द्र द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ, केन्द्रीय सरकार निश्चय ही उसका ध्यान रखेगी।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीयकरण में बाधा पहुंचाना चाहती है। वस्तुतः केन्द्रीय सरकार की नीति विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण किये जाने का उपबन्ध करने और इसके लिये प्रोत्साहन देने की है। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए हाल का यह विधेयक सभा द्वारा पारित किया गया था उसे अब दूसरी सभा को मंजूरी देनी है। इस क्षेत्र में जो आशंका और संदिग्धता का वातावरण फैला हुआ था उसे हमने समाप्त कर दिया है जिससे कि गैर-सरकारी क्षेत्र और विभिन्न राज्य सरकारें बिना एक दूसरे के कार्य में बाधा पहुंचाए और बिना एक दूसरे की प्रगति में हस्तक्षेप किये अपने-अपने कार्यक्रमों को चला सकें। अतः हमारी इच्छा राष्ट्रीकरण में बाधा पहुंचाने की नहीं है।

हम सड़क परिवहन निगम अधिनियम द्वारा यही चाहते हैं कि सड़क परिवहन और रेल परिवहन में समन्वय हो। श्री म० शि० गुरुपादस्वामी अपने भाषण के अन्तिम भाग में राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध बोल रहे थे। उन्होंने ऐसे उदाहरण बताये जिनमें लोगों ने सरकार द्वारा चलाई गई सेवाओं की अपेक्षा गैर-सरकारी सेवाओं को अधिमान दिया था। श्री त० ब० विट्ठल राव ने अपने भाषण में बताया कि कम से कम जहां तक हैदराबाद का सम्बन्ध था सड़क परिवहन सेवाओं का विभागीय प्रबन्ध निगम के प्रबन्ध से भी अधिक सुचारु था। और कोई तुलना करने का प्रयत्न किये बिना उन्होंने कहा कि क्योंकि यह सुचारु ढंग से चल रहा था अतः इसमें बाधा नहीं डाली जानी चाहिये।

यहां हमारे समक्ष समस्या के सभी पहलू हैं। यह बात नहीं है कि निगम का कार्य ही सदैव अत्यधिक सुचारु होता है, अथवा सरकारी क्षेत्र में ही अधिक कार्यकुशलता होती है। अतः हमारा ध्यान राष्ट्रीयकरण, या निगम द्वारा प्रबन्ध या विभागीय उपक्रम के रूप में प्रबन्ध की ओर ही नहीं है, वरन् इस ओर है कि सेवा अत्यन्त कुशल होनी चाहिये चाहे उसकी व्यवस्था गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा की जाये या सरकारी क्षेत्र द्वारा की जाये, अथवा उक्त सेवाओं का संचालन चाहे निगम द्वारा किया जाये अथवा विभाग द्वारा। इससे वस्तुतः समस्या का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। चाहे यह व्यवस्था निगम द्वारा की जाये या विभाग द्वारा की जाये या सरकारी क्षेत्र द्वारा की जाये या गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा की जाये, हलवे का प्रमाण तो उसके चखने से मिलता है। हमें तो सब से अधिक कार्यकुशल परिणाम प्राप्त करने हैं और साथ ही वह व्यवस्था मितव्ययी होनी चाहिये। यदि यह परिणाम नहीं निकलते हैं तो हम केवल इस बात के आधार पर उसे अधिमान नहीं दे सकते कि वह सरकारी क्षेत्र में है या कोई निगम है।

परन्तु मैं यह सभा को स्मरण करा देना चाहता हूं कि निगम का कार्य सड़क परिवहन और रेल परिवहन में समन्वय स्थापित करना है। जब सेवाओं का प्रबन्ध और संचालन राज्य विभाग द्वारा किया जा रहा हो, तो संभव है कि केन्द्रीय सरकार के लिये पूंजी में अंशदान देना सम्भव न हो। परन्तु यदि कोई निगम केन्द्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित किया जाता है, तो रेलवे के लिये उसमें भाग लेना सम्भव होगा और उसमें किसी ऐसी भावी आकस्मिक स्थिति का उपबन्ध किया जा सकता है जो रेल सेवाओं और सड़क सेवाओं में प्रतिस्पर्धा होने के कारण पैदा हो सकती है। निगम के विचार के पीछ यही गुण है।

परन्तु जब राज्य सरकारें और निधि की मांग करती हैं केवल तभी उन्हें निगम स्थापित करने का परामर्श दिया गया है। यद्यपि वे निगम स्थापित करने के लिये तैयार नहीं हैं, उन्हें वस्तुतः निधि की आवश्यकता है। रेलवे भी ऐसे उपक्रमों में भाग लेने के लिये तैयार है। अतः केवल इसी प्रसंग में, उन्हें निगम स्थापित करने का परामर्श दिया गया है। परन्तु यदि नई व्यवस्था में, हैदराबाद में जो नया राज्य स्थापित हुआ है वह यदि सड़क परिवहन सेवाओं के विभागीय प्रबन्ध को जारी रखना चाहे तो केन्द्र अथवा योजना आयोग निश्चय ही उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।

श्री म० शि० गुरुपादस्वामी ने सरकारी परिवहन सेवाओं के संचालन की कतिपय त्रुटियां बताई हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि यह आरोप कहां तक सत्य है। परन्तु मैं सभा को बताना चाहता हूं कि सम्बद्ध राज्य विधान मंडल इस विषय में बहुत सचेत हैं। विशेषतः, बस परिवहन सेवायें सम्बन्धित राज्य विधान मंडलों में प्रायः चर्चा और वाद-विवाद का विषय रहती हैं, क्योंकि इससे, विशेषतः बड़े नगरों में परिवहन और लोगों के आने जाने पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः वह राज्य विधान मंडल, जो सम्बन्धित, राज्यों की राजधानियों में हैं, स्वभावतः इस विषय की ओर अधिक ध्यान और समय देते हैं। जो त्रुटियां और कमियां माननीय सदस्य ने बताई हैं वे राज्य विधान मंडलों के समक्ष लाई जानी चाहियें और वहीं उनका उपचार हो सकता है।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जहां भी कहीं यह निगम कार्य करते हैं, वहां केन्द्र का भी उत्तरदायित्व होता है। रेलवे मंत्रालय अथवा रेलवे बोर्ड का प्रतिनिधि इन निगमों के प्रबन्ध निगम का सदस्य होता है। मैंने देखा है कि उसने अब तक निगम के एक सक्षम सदस्य के रूप में कार्य नहीं किया है। अतएव, हमारी यह इच्छा है कि रेलवे मंत्रालय या रेलवे बोर्ड का वह प्रतिनिधि जो निगम का सदस्य होता है अधिक कुशलतापूर्ण और प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करे और निगमों द्वारा किये जा रहे सड़क परिवहन के संचालन में जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर करने में सहायता दे।

श्री त० ब० विट्ठल राव स्वभावतः इस बात के लिये इच्छुक थे कि जब बम्बई सरकार या मैसूर सरकार द्वारा सेवाओं को लिया जाये तो कर्मचारियों की सेवाओं में कोई बाधा न आये। मैं

[श्री अलगेशन]

श्री म० शि० गुरुपादस्वामी को यह सूचित कर दूं, कि मैसूर सरकार ने हमें बताया है कि वह एक सड़क परिवहन निगम स्थापित करना चाहती है। संम्भवत: उसे ऐसा करने में कुछ समय लगे। परन्तु हमें सूचना मिली है कि वह एक सड़क परिवहन निगम स्थापित करना चाहती है। मैंने इसका इसलिये उल्लेख किया क्योंकि माननीय सदस्य ने इस बारे में कुछ कहा था।

जहां तक सेवा के सतत गिने जाने का सम्बन्ध है, और जहां तक सेवा की पुरानी शर्तों का सम्बन्ध है मेरे विचार से राज्य पुनर्गठन अधिनियम में उनका बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा गया है। श्री त० ब० विट्ठल राव राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा १११ को देखें, जिसमें दो परन्तुक हैं। परन्तुक (क) में कहा गया है :

> "ऐसे स्थानान्तरण या पुन: सेवायुक्ति के पश्चात् कर्मकार पर लागू होने वाली सेवा की शर्तें उन शर्तों से कम लाभदायक नहीं हों, जो स्थानान्तरण या पुन:सेवायुक्ति के तुरन्त पूर्व उस पर लागू होती थीं।"

इस विधेयक को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के साथ पढ़ा जाना चाहिये। सेवा की शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो पहले की सेवा की शर्तों की अपेक्षा कम लाभदायक हों। अत: इस आधार पर कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये।

इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि सेवा को सतत गिना जाये। चाहे इसे स्थानान्तरण कहा जाये या पुन:सेवायुक्ति, सेवा सतत गिनी जायेगी। परन्तुक (ख) में कहा गया है :

> "उस निगमित निकाय या उपक्रम का मालिक, जहां कर्मकार को स्थानान्तरित किया गया है या पुन: सेवायुक्त किया गया है, क़रार के आधार पर अथवा विधिक रूप से कर्मकार को उसकी छंटनी की अवस्था में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा २५ (च) के अधीन, इस आधार पर कि उसकी सेवा जारी रही है और स्थानान्तरण या पुन: सेवायुक्ति से उसकी सेवा में बाधा नहीं पड़ी है, प्रतिकर देने के लिये उत्तरदायी होगा।"

अत: सम्बद्ध कर्मचारी की सेवा को सतत माना जायेगा। सेवा भंग नहीं होगी और यदि नया मालिक उसकी सेवाओं को समाप्त करना चाहे, तो उसकी सेवाओं को सतत माना जायेगा और तदनुसार उसे प्रतिकर देना पड़ेगा। इसलिये श्री त० ब० विट्ठल राव द्वारा प्रकट की गई आशंकाएं ठीक नहीं हैं। माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद के अन्तर्गत जो प्रश्न उठाये थे उनका मैंने सभी उत्तर दे दिया है।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है कि :

> "सड़क परिवहन निगम अधिनियम, १९५० में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय :** अब हम इस पर खण्डवार विचार करेंगे। श्री त० ब० विट्ठल राव ने दो संशोधन रखे हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** माननीय मंत्री के उत्तर के कारण मैं अपने संशोधनों को प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ और ३ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गय ।

†**श्री अलगेशन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कर्मचारी भविष्य निधियां (संशोधन) विधेयक

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं* कि :

"कर्मचारी भविष्य निधियां अधिनियम, १९५२ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह एक बहुत सरल और अत्यन्त निर्विवाद सा विधेयक है । अतः मुझे अधिक लम्बा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है ।

तथापि, चूंकि यह अवसर प्राप्त हुआ है, मैं सभा को यह बताऊंगा कि भविष्य निधियां अधिनियम ने गत पांच-वर्षों में क्या प्रगति की है । यह कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, जैसा कि सभा को विदित है, पहले पहल फैक्टरियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये भविष्य निधियों की स्थापना करने के लिये १९५२ में अधिनियमित किया गया था । इस अधिनियम के अन्तर्गत छः प्रमुख उद्योग रखे गये थे, अर्थात् सीमेंट, सिगरेट, बिजली सम्बन्धी, मशीनरी सम्बन्धी या सामान्य इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग लोहा और इस्पात, कागज और वस्त्र उद्योग कर्मचारी भविष्य निधि योजना, जो अधिनियम की धारा ५ के अधीन बनाई गई थी, १ नवम्बर १९५२ से छः अनुसूचित उद्योगों में लगी फैक्टरियों में लागू की गई थी ।

इस अधिनियम के अन्तर्गत छः अनुसूचित उद्योगों की लगभग २,३०० फैक्टरियां आती हैं, इनमें से ५०० से अधिक फैक्टरियों को इससे विमुक्ति देकर स्वयं अपनी भविष्य निधि योजनाओं को चलाने की अनुमति दी गई है । मैं यहां एक बात स्पष्ट कर दूं । मेरा विमुक्ति से आशय समूची योजना से उन्मुक्ति है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें भविष्य निधियां अधिनियम से विमुक्ति दे दी गई हैं । उन्हें स्वयं अपनी योजनायें चलाने, भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत जमा धन को सरकारी प्रतिभूतियों में लगाने के लिये कहा गया है । इस बात का ध्यान भी रखा गया है कि इन योजनाओं के लाभ संविहित योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ से कम न रहें, और विधियां ऐसे प्रन्यासी बोर्डों के पास रहें, जिसमें

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ प्रस्तुत ।

[श्री खण्डूभाई देसाई]

कर्मचारियों का प्रतिनिधान मालिकों के प्रतिनिधित्व के बराबर हो, और धन केवल केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में ही विनियोजित किया जाये ।

इन छः उद्योगों के अन्तर्गत १६ लाख कर्मचारी आते हैं, जिनमें ९ लाख से अधिक उन्मुक्त फैक्टरियों में हैं। इसका यह अर्थ है कि उन्मुक्त फैक्टरियाँ बड़ी-बड़ी फैक्टरियां हैं, जिनमें उनकी अपनी भविष्य निधि योजनायें हैं। प्रति वर्ष औसत अंशदान (उन्मुक्त फैक्टरियों समेत) लगभग १७·४ करोड़ रुपये है। सितम्बर १९५६ के अन्त तक अंशदान की कुल राशि अनुमानतः ६९ करोड़ रुपये के लगभग है। निधि का रुपया केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में विनियोजित किया गया है और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास योजनाओं पर खर्च किये जाने के लिये पृथक रक्षित किया गया है। विशेषकर इस प्रकार प्राप्त धन औद्योगिक कर्मकारों की आवास योजनाओं के लिये दिया जाता है। सितम्बर १९५६ की समाप्ति तक चार करोड़ रुपया भूतपूर्व सदस्यों या उनके नामांकित व्यक्तियों को वापिस दिया जा चुका है ।

कुछ दिनों से भविष्य निधि योजना को समस्त औद्योगिक कर्मचारियों पर लागू किये जाने की लगातार मांग की गई है। योजना आयोग और त्रिपक्षीय सलाहकार समिति ने विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का विस्तार किये जाने की सिफारिश की है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकार समस्त उद्योगों के दस हजार कर्मचारियों को भविष्य निधि के लाभ प्रदान करना चाहती है। इस दिशा में पहला कदम यह उठाया गया है, कि ३१ जुलाई, १९५६ से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को १३ अतिरिक्त फैक्टरी उद्योगों पर लागू कर दिया गया है और चार अन्य फैक्टरी उद्योगों पर इसे ३० सितम्बर, १९५६ से लागू किया गया है, इन १७ अतिरिक्त उद्योगों के ले लिये जाने से, लगभग १,६०० छोटी फैक्टरियों में काम करने वाले पांच लाख और कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ दिया गया है, और इससे अंशदानों में वार्षिक वृद्धि अनुमानतः ४·६९ करोड़ रुपये हुई है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम इस समय फैक्टरी उद्योगों पर लागू होता है और ऐसे ही उद्योगों तक ही अधिसूचना द्वारा इसके विस्तार की व्यवस्था करता है। बागानों, खानों, कतिपय श्रेणियों की वाणिज्यिक संस्थाओं आदि जैसी गैर-फैक्टरी संस्थाओं पर इस अधिनियम को लागू करने का कोई उपबन्ध नहीं है। यदि १०,००० या इससे अधिक कर्मचारियों वाले समस्त उद्योगों के कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ पहुंचाना अपेक्षित हो तो ऐसा उपबन्ध अत्यावश्यक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रारम्भिक सर्वेक्षण किये गये हैं और सरकार सम्बद्ध हितों के परामर्श से ऐसी संस्थापनाओं पर इस अधिनियम को लागू करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है। किन्तु जब तक हम इस विधि को पारित नहीं करते, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिये यह संशोधन आवश्यक है। तदनुसार यह विधेयक केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति देना चाहता है कि वह सरकारी सूचनापत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करके किसी गैर-फैक्टरी संस्थापना या किसी श्रेणी विशेष की संस्थापनाओं को, जिसके कर्मचारियों के बारे में इसका यह विचार है कि अधिनियम के अधीन भविष्य निधि योजना बनाई जानी चाहिये, इस अधिनियम के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत लाया जा सके।

सरकार का उद्देश्य अधिनियम के क्षेत्र का धीरे-धीरे विस्तार करना है, ताकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह भविष्य निधि सुविधायें देश के और अधिक औद्योगिक कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जा सकें। इन कुछ शब्दों के साथ मैं सभा से इस विधेयक पर विचार करने और इसे विधि के रूप में अधिनियमित करने की प्रार्थना करता हूं ताकि सरकार इस विधि को दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों, विशेष कर देश की वाणिज्यिक संस्थापनाओं में काम करने वाले सफ़ेद पोश कर्मचारियों पर भी लागू कर सकें।

यह विधेयक जिसे मैं आशा करता हूं हम शीघ्र ही पारित करेंगे, सरकार को इस योजना को अन्य संस्थापनाओं पर जो अभी इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं तथा जो वाणिज्यिक या औद्योगिक नहीं हैं, तथा बंगाल, बिहार और दक्षिण के बाग़ानों तक विस्तृत करने की शक्ति प्रदान करेगा।

जैसे कि सभा को पहले ही विदित है आसाम सरकार ने एक विधि अधिनियमित की है जिसके द्वारा न्यूनाधिक ऐसे ही उपबन्ध बाग़ान श्रमिकों पर लागू होते हैं। यदि यह योजना बिहार, बंगाल अथवा दक्षिण के बाग़ान श्रमिकों पर लागू नहीं की जाती है, तो पूर्व और दक्षिण के बाग़ानों के बीच एक अस्वास्थ्यकर प्रतियोगिता उत्पन्न हो जायेगी, इसलिये हमने बाग़ानों को विशेष रूप से सम्मिलित किया है। मुझे आशा है सभा इस विधेयक को पारित करेगी।

मैं इस विधेयक को एक लाभदायक उपक्रम के रूप में सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि सभा को अच्छी तरह विदित है, सरकार समय-समय पर ऐसे कल्याणकारी विधान बनाती रही है। पहली पंचवर्षीय योजना अवधि में बहुत से ऐसे विधान प्रस्तुत किये गये हैं, और अब तक जिस मात्रा तक वे कार्यान्वित नहीं किये गये उस मात्रा तक दूसरी पंचवर्षीय योजना में उनको कार्यान्वित करने की आशा करते हैं। मैं इस विधेयक को सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** (दरांग) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। जब बागानों पर इस विधान को लागू करने का प्रश्न उठा था तब यह कठिनाई खड़ी हुई थी कि हमारे पास कोई विधायिनी उपबन्ध नहीं था और हम इसको इन उद्योगों पर लागू नहीं कर सकते थे। आसाम सरकार विधि बनाना चाहती थी। केन्द्रीय सरकार की सलाह से उसने विधि बनाई और अब उसने भविष्य निधि के द्वारा २·२ करोड़ रुपये की निधि जमा कर ली है। प्रतियोगीय क्षमता को बराबर रखने के लिये अन्य क्षेत्रों पर भी इसे लागू करना आवश्यक है।

आसाम में आर्थिक और अनार्थिक एककों में भेद किया गया है। कचार के आठ महीने से कम समय तक काम करने वाले उद्योगों को विमुक्त किया गया था। प्रारम्भ में इसे एक सामाजिक उपक्रम न मान कर कर्मचारियों को कुछ वित्तीय सहायता देने वाला उपक्रम माना गया था। अब भारत सरकार ने इसे नीति के रूप में अपनाया है और मैं आशा करता हूं कि वह कचार के तथाकथित अनार्थिक बाग़ानों पर भी इसको लागू कराने के लिये दबाव डालेगी। वे अनार्थिक इस कारण हैं क्योंकि उनकी कोई परवाह नहीं की जाती है। मैं वर्षों से कहता आ रहा हूं कि जो लोग अपनी संपत्ति का उचित प्रबन्ध नहीं करते हैं, उनसे सरकार को उक्त सम्पत्ति ले लेनी चाहिये और प्रबन्ध व्यवस्था ठीक करनी चाहिये। इंग्लैण्ड में भी ऐसी विधियां हैं। हमारे यहां ऐसी विधि न बनाये जाने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार इकट्ठी की गई राशि मालिकों को ही कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के लिये दे दी जाती है। मैं समझता हूं कि प्रयत्न किये जाने पर ये बाग़ान अधिक उत्पादन कर सकते हैं।

बाग़ान अधिनियम में उपबन्धित है कि कर्मचारियों को आवास की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहियें। अब दूसरी योजना में सरकार मकान बनाने के लिये ऋण देगी। मैं आशा करता हूं सरकार बाग़ान क्षेत्रों में आवास कार्यक्रम को आयोजित ढंग से आरम्भ करेगी।

वाणिज्यिक सेवाओं तक इसका विस्तार करने का यह उद्देश्य है कि व्यक्ति चाहे कहीं भी काम करे, उस भविष्य निधि का लाभ प्राप्त होना ही चाहिये। इसलिये भविष्य निधि रखने और न रखने वालों में कोई अन्तर नहीं रहना चाहिये। समाज में जो कृत्रिम भेदभाव दिखाई देता है वह समाप्त होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि एक बार जब सरकार कोई व्यवस्था बना देगी तो देश के समस्त कर्मचारी-वर्ग को भविष्य निधि का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री का० प्र० त्रिपाठी]

अब २३·६ करोड़ रुपये भविष्य निधियों में आ रहे हैं। कुछ समय पूर्व श्रम सम्मेलन में इसे ८$\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक बढ़ाने का विचार प्रकट किया गया था। यह ठीक है, इससे दूसरी योजना के लिये अधिक साधन उपलब्ध हो सकेंगे। इस प्रणाली से प्रजातंत्रात्मक आधार पर पूंजी निर्माण संभव हो सकता है। यदि कर्मचारियों और मालिकों से १० प्रतिशत अंशदान लिया जाये, तो ४४ करोड़ रुपये की राशि हो जायेगी। रेलवे, खानों और बाग़ान तथा परिवहन और वाणिज्यिक संस्थापनाओं को मिला कर यह राशि ६३ करोड़ रुपये हो जायेगी। इसे पांच गुना करने से ३१५ करोड़ रुपये होते हैं। यदि इस साधन पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाये तो यह दूसरी योजना को चलाने का मुख्य साधन हो सकता है।

श्रमिक वर्ग को जो लाभ होगा वह स्पष्ट है, क्योंकि करोड़ों रुपया न केवल मकानों के लिये बल्कि अन्य सुविधाओं के लिये भी खर्च किया जा सकता है।

मुझे इस विधेयक का समर्थन करने में बहुत हर्ष होता है। मैं नहीं कह सकता कि अंशदान की दर के ८$\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक बढ़ा देने का निर्णय किया गया है या नहीं। मैं आशा करता हूं कि मालिक लोग इसे मान लेंगे, क्योंकि अन्त में उन्हें ही इससे अधिक लाभ मिलेगा।

जब हम मजूरी बढ़ाने की मांग करते हैं तो नियोजक कहते हैं कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। परन्तु यदि इस अतिरिक्त राशि को भविष्य निधि के रूप में सुरक्षित कर दिया जाये, तो कोई मुद्रास्फीति नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मजूरी बोर्ड स्थापित किये जा रहे हैं, जो मजूरी की वृद्धि की मांग का न्याय-निर्णयन करेंगे। मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि भविष्य निधि योजना से मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है।

वित्त के विकास के बारे में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्रमिक वर्ग की मजूरी और वेतन बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि श्रमिक वर्ग पूंजी निर्माण में अपना अंशदान कर सके। विकास निधियों को बनाये रखने की संभावना तभी हो सकती है। इस प्रयोजन के लिये भविष्य निधि एक बहुत अच्छा साधन है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, और हमें इसे पारित कर देना चाहिये और यह प्रयत्न करना चाहिये कि इस देश में प्रत्येक कर्मचारी को भविष्य निधि का लाभ प्राप्त हो, और इसका प्रबन्ध सरकार द्वारा किया जाये।

सरकार ने प्रशासन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले भी लिया है। मैं आशा करता हूं कि कुछ गैर-सरकारी समवायों की भविष्य निधि की दरों और सरकारी भविष्य निधि की दरों में जो अन्तर है, वह दूर हो जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री ने मजूरी बढ़ाये जाने की मांग को स्वीकार करके श्रमिक वर्ग के प्रति न्याय किया है। मेरे विचार में यह संशोधक विधेयक बहुत पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। इसमें बहुत विलम्ब किया गया है। भविष्य निधि योजना का लाभ सभी प्रकार के कर्मचारियों को प्राप्त होना चाहिये केवल फैक्टरी श्रमिकों को ही नहीं।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

हमें हर्ष है कि इस विधेयक के द्वारा भविष्य निधि व्यवस्था को अब बागानों पर भी लागू किया जायेगा। दक्षिण के चाय और काफी बागानों में, तीन से चार लाख तक श्रमिकों को इससे लाभ पहुंचेगा। किन्तु अभ्रक, लौह अयस्क, जिप्सम की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये

†मूल अंग्रेजी में।

भविष्य निधि की व्यवस्था नहीं की गई है। सोने की खानों में काम करने वाले २५,००० श्रमिकों पर भी इस विधि का प्रभाव नहीं पड़ता है।

इस अधिनियम के क्षेत्र के विस्तार से कारखानों के ३० लाख, खानों के छः लाख और बागानों के ५–६ लाख श्रमिकों को लाभ पहुंचेगा। मैं नहीं कह सकता कि वर्तमान विधेयक के द्वारा यह योजना देश के ३,५०,००० सड़क यातायात कर्मचारियों पर भी लागू की जा सकेगी अथवा नहीं। मैं चाहता हूं कि इसे सौराष्ट्र से दक्षिण में तूतीकोरिन तक समुद्र से अपनी जीविका कमाने वाले नाविकों पर भी लागू किया जाये। इनका काम बहुत जोखिम का है और इन पर श्रमिक प्रतिकर अधिनियम और न्यूनतम मजूरी अधिनियम भी लागू नहीं होता है। हाल ही में एक अधिसूचना द्वारा इसे समाचारपत्र उद्योग पर भी लागू किया गया है, किन्तु केवल उन कर्मचारियों पर जिन का वेतन ३०० रुपये या इससे कम है सभी कर्मचारियों पर इसे लागू नहीं किया गया है। यह विभेद दूर किया जाना चाहिये और मैं चाहता हूं कि इसे सिनेमा उद्योग के ३०,००० कर्मचारियों पर भी लागू किया जाये। श्रमिक तालिका की अन्तिम बैठक में यह तय किया गया था कि अंशदान की दर ८$\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक बढ़ा दी जाये। आठ मास हो चुके हैं किन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। दर को बढ़ाकर ८$\frac{1}{3}$ प्रतिशत करना बहुत आवश्यक है नहीं तो कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर बहुत ही नगण्य धनराशि मिल पाती है।

इस अधिनियम का और भी उदारीकरण किया जाना चाहिये। नियोजक के अंशदान की जब्ती को लीजिये। यदि किसी कर्मचारी का सेवाकाल तीन वर्ष से कम हो, तो नियोजक के अंशदान का ७५ प्रतिशत जब्त किया जाता है, यदि उसका सेवाकाल १० वर्ष से कम हो, तो ५० प्रतिशत जब्त किया जाता है। पूरा अंशदान तभी मिल सकता है जब सेवाकाल १५ वर्ष से अधिक हो। मेरा अनुरोध है सरकार द्वारा जब्ती बिल्कुल नहीं की जानी चाहिये। अन्ततः यह धन है किसका? न्यूनतम सेवा अवधि आप तीन वर्ष रख सकते हैं किन्तु जिनका सेवाकाल तीन वर्ष से अधिक हो उन्हें पूरा अंशदान मिलना चाहिये।

अंशदान की गणना पूरे महंगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिये, ताकि विभिन्न प्रकार की भविष्य निधियों––कोयला खान भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि या रेलवे कर्मचारी भविष्य निधि में कोई अन्तर न रहे।

मैं तो उस दिन की बाट देख रहा हूं जबकि श्रमिक को भविष्य निधि के लिये कोई अंशदान नहीं करना पड़ेगा। समूची व्यवस्था नियोजक या सरकार द्वारा ही की जायेगी जैसा कि कुछ देशों में है।

†**श्री तुषार चटर्जी** (श्रीरामपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। अब इस अधिनियम को बागान श्रमिकों और कुछ अन्य कारखानों के कर्मचारियों पर लागू किया जा रहा है, ऐसा करने से श्रमिकों की एक पुरानी मांग पूरी होगी।

किन्तु, इसका स्वागत करते हुए भी, मैं सरकार का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। केन्द्रीय प्रन्यासी बोर्ड का सदस्य होने के नाते मैं अनुभव करता हूं कि सरकार को न केवल भविष्य निधि अधिनियम को अधिक से अधिक उद्योगों पर लागू करना चाहिये, बल्कि भविष्य निधि योजना को क्रियान्वित करने के मार्ग में जो कठिनाइयां आती हैं उनको भी दूर करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि सरकार ने केन्द्रीय प्रन्यासी बोर्ड के सुझावों पर समुचित ध्यान नहीं दिया है और पिछले दो वर्षों में उसने जो प्रश्न उठाये हैं, उन पर सरकार ने अभी तक विचार नहीं किया है। क्या यह विधेयक उन्हीं सुझावों का परिणाम है? परन्तु प्रन्यासी बोर्ड द्वारा दिये गये अन्य सुझावों के सम्बन्ध में सरकार ने अपने निर्णय की कोई सूचना नहीं दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री तुषार चटर्जी]

मैंने तीन बार सदन में यह प्रश्न पूछा है कि विमुक्त कारखानों के मामले में प्रन्यासी बोर्ड बनाने की प्रक्रिया के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है। किन्तु तीनों बार यह उत्तर दिया गया है कि यह मामला विचाराधीन है। अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि कर्मचारियों को भविष्य निधि की सुविधा देने का उत्तरदायित्व लेते हुए सरकार केन्द्रीय प्रन्यासी बोर्ड की राय पर उचित ध्यान क्यों नहीं देती है। मैं स्वयं जानता हूं कि विमुक्त कारखानों के सम्बन्ध में श्रमिकों की बहुत-सी शिकायतें हैं। इनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। किन्तु सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया।

मेरा ख्याल था कि इस संशोधक विधेयक के साथ, भविष्य निधि अधिनियम की धारा २७ के अन्तर्गत, विमुक्ति के विषय में जो त्रुटियां अब भी शेष हैं उन्हें अधिनियम की धारा १७(२) में कोई परन्तुक रख कर दूर कर दिया जायेगा, किन्तु सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। इस त्रुटि को दूर न करने से बहुत से कर्मचारी इसके लाभ से वंचित हो जायेंगे और मालिक अनुचित लाभ उठायेंगे। श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में एक सिफारिश यह की गई थी कि भविष्य निधि उन उद्योगों में भी शुरू की जाये जिनमें श्रमिकों की संख्या १०,००० से कम है। इस बात पर भी सरकार ने विचार नहीं किया।

इस अधिनियम को केवल कुछ और उद्योगों पर लागू कर देने से श्रमिकों की कठिनाइयां दूर नहीं हो जाती हैं, क्योंकि इनका स्वागत केवल वही करते हैं, जिन्हें यह सुविधा पहले से प्राप्त नहीं थी। जिन्हें पहले से किसी प्रकार की भविष्य निधि की सुविधा प्राप्त है, उन्हें इस अधिनियम के लागू होने से कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि कुछ सन्देह होता है। उदाहरणतया **आनन्द बाजार पत्रिका,** कलकत्ता के कर्मचारी, जिन पर यह अधिनियम अब लागू होगा, कहते हैं कि इससे उन्हें उतना लाभ नहीं होगा, जितना कि उन्हें अपनी पहली योजना से होता था। सरकार को इस बात पर ध्यान देकर अधिनियम के उपबन्धों की त्रुटियों को दूर करना चाहिये।

श्रम मंत्री ने स्वयं कहा है कि सब बड़े-बड़े नियोजक विमुक्ति के लिये प्रार्थनापत्र देते हैं और सभी बड़े-बड़े समवायों ने विमुक्ति प्राप्त कर ली है। प्रायः तीन-चौथाई श्रमिक विमुक्ति खंड के अन्तर्गत आ जाते हैं और केवल एक-चौथाई पर ही वर्तमान अधिनियम के अन्य उपबन्ध लागू होते हैं। मेरा निवेदन है कि वर्तमान अधिनियम में सुधार कर के इसे उन औसत योजनाओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिये, जो पहले से ही लागू हैं। ऐसा करने से अधिकांश कर्मचारी संतुष्ट हो जायेंगे।

अधिकांश श्रमिक इसलिये अपनी अलग योजना पसन्द करते हैं, क्योंकि इसके अन्तर्गत उन्हें ऋण मिल सकता है। मूल अधिनियम के अन्तर्गत, ऋण की मंजूरी नहीं दी जाती है। प्रन्यासी बोर्ड ने एक सिफारिश की थी कि विशेष परिस्थितियों में ऋण की मंजूरी दी जानी चाहिये। सरकार ने इस सिफारिश पर भी विचार नहीं किया।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु यदि इस विधेयक के द्वारा अधिनियम की त्रुटियां दूर कर दी जातीं, तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती।

†**श्री ल० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : मैं अपना भाषण दिल्ली और मनीपुर तक सीमित रखना चाहता हूं, जहां परिवहन कर्मचारियों की स्थिति शोचनीय है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भूत-पूर्व भाग क में के राज्यों में लागू भविष्य निधि आदि योजनायें दिल्ली परिवहन सेवा के कर्मचारियों पर भी लागू होती हैं या नहीं ? यदि यह सुविधा उन्हें नहीं दी जा रही है, तो उनको बहुत कठिनाई होगी।

†मूल अंग्रेजी में।

वे काफी समय खतरे से पूर्ण सेवा करते हैं। अब यदि कोई दुर्घटना हो जाये तो उनके आश्रित व्यक्तियों की देखभाल कौन करेगा ?

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला-शिमला) : बीमा कम्पनियों के कुछ परिवहन मजदूरों की हालत ऐसी है कि वे बीमा-सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। दिल्ली परिवहन मजदूरों की हालत ऐसी ही है। मेरे राज्य मनीपुर में परिवहन मजदूरों की हालत बहुत ही शोचनीय है। उनकी सेवा के कोई नियम नहीं हैं। केवल मुख्य पदाधिकारी उनकी नियुक्ति तथा सेवा से हटाये जाने के लिये उत्तरदायी हैं। अब समय आ गया है कि श्रम मंत्री को मनीपुर राज्य में परिवहन मजदूरों की अवस्था की जांच करनी चाहिये। ये लोग खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। दीनापुर और मनीपुर के बीच की सड़क नागा पहाड़ियों में से होकर जाती है और इन मजदूरों को आपात क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है। परन्तु इनके लिये कोई उपबन्ध नहीं है और न ही सेवा की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध है जबकि नागा पहाड़ियों में काम करने वाले आसाम सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक विशेष उपबन्ध है। यदि वे मर जाते हैं, तो उनके लिये कोई उपबन्ध नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री से सविनय प्रार्थना करता हूं कि वे उनको कम से कम भविष्य निधि योजना की सुविधा प्रदान करें। इसके अतिरिक्त इम्फाल में एक कामदिलाऊ दफ्तर खोला जाना चाहिये ताकि ड्राइवरों और कंडक्टरों की नियुक्ति सन्तोषजनक ढंग से हो।

एक बात और। उस क्षेत्र के ड्राइवरों व कंडक्टरों के वेतनक्रम तथा ठहरने के भत्ते अपेक्षतः बहुत कम हैं।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

उनकी परिस्थितियों में सुधार करने की दृष्टि से मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह उनके वेतन-क्रम में वृद्धि करने पर विचार करें अन्यथा उनकी हालत और भी बिगड़ जायेगी।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल—पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर—उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करने के लिये खड़ी हुई हूं कि पहाड़ों में प्रोविडेंट फंड की सुविधायें नहीं हैं और वहां भी इन को सुलभ किया जाना चाहिये.....

श्री कामत (होशंगाबाद) : इस समय तिहाई भी गणपूर्ति नहीं है। आधी गणपूर्ति न होने पर भी आगे बढ़ना ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या की बात सुनने दीजिये। उन्हें अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिये।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : मैं यह कह रही थी कि ऐम्प्लाईज प्रोविडेंट फंड के साथ यह भी विचारा जाये कि पहाड़ों पर प्रोविडेंट फंड की सुविधायें उपलब्ध होनी चाहियें। वहां पर जो ग्राम सेविकायें हैं उनको बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। वहां पर जो टीचर्स हैं, जो डाकिये हैं या इसी तरह के जो दूसरे लोग काम करने वाले हैं, उनको आज़ प्राविडेंट फंड की सुविधायें नहीं मिली हुई हैं जो कि उनको मिलनी चाहियें।

तो मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री पहाड़ी इलाकों में जो काम करने वाले हैं उनको भी प्राविडेंट फंड देने के प्रश्न पर गौर करें।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का आभारी हूं कि सभा ने इस छोटे से विधयक का अच्छा स्वागत किया है जिससे भविष्य निधि का लाभ उन लोगों को भी मिल जायेगा जो मुख्य अधिनियम

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री खंडूभाई देसाई]

के अन्तर्गत नहीं आते हैं। मैं मनीपुर के प्रतिनिधियों को बताना चाहता हूं कि ये विधेयक विशेषतया इन लोगों की सहायता करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। वह परिवहन मजदूरों का उल्लेख कर रहे थे। जहां तक वर्तमान विधि का सम्बन्ध है, हम चाहते हुए भी उन्हें विधि के अन्तर्गत नहीं ला सकते।

जहां तक श्री तुषार चटर्जी की आलोचना का सम्बन्ध है, वह एक न्यासी होने के नाते जानते हैं कि न्यासी बोर्ड का काम न्यास का प्रशासन करना है। उन्होंने जो भी सुझाव दिये हैं वे सरकार के विचाराधीन हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत शीघ्र ही मैं सरकार के निष्कर्ष गजट में प्रकाशित कर दूंगा। तथा मैं उन्हें आश्वासन दिलाता हूं कि न्यासी बोर्ड के अधिकतर सुझाव स्वीकार हो जायेंगे।

श्री त्रिपाठी यह जानना चाहते थे कि इस समय भविष्य निधि अधिनियम कितने मजदूरों पर लागू होता है तथा विधि के अन्तर्गत बनाई गई समूची योजना के कार्यान्वित होने पर कितने लोग इसके अन्तर्गत आ जायेंगे। आजकल उद्योगों में इस योजना के लागू होने से लगभग २१ लाख मजदूर विधि के अन्तर्गत आते हैं और यह मैं अपने आरम्भकारी भाषण में कह चुका हूं तथा उनसे लगभग २३ करोड़ रुपये एकत्रित होंगे। हमें आशा है कि विधेयक के पारित होने पर हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगभग ३,४८५ अतिरिक्त उपक्रमों को विधि के अन्तर्गत ले आयेंगे। भविष्य निधि और उसके लाभों का अधिकार ९·४२ लाख कर्मचारियों को होगा और मालिकों व कर्मचारियों का वार्षिक अंशदान लगभग ९ करोड़ रुपये होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में आवास आदि विकास योजनाओं के लिये प्रतिवर्ष कुल लगभग ३२ करोड़ रुपये प्राप्य होंगे।

जैसा कि उन्होंनें कहा है यह उपबन्ध विस्फीति-प्रकार का है तथा मुझे प्रसन्नता है कि जहां तक मजदूरों का सम्बन्ध है, वे इस बात के इच्छुक होंगे कि अंशदान ६$\frac{1}{4}$ से बढ़ाकर ८$\frac{1}{3}$ प्रतिशत कर दिया जाये। सरकार इस पर विचार करेगी परन्तु इसके लिये अधिनियम में और संशोधन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इसके लिये विभिन्न राज्यों और देश के विभिन्न लोगों से परामर्श करना होगा। मैं कह सकता हूं कि हम अन्तिम विनिश्चय करने से पहले विभिन्न सम्बन्धित लोगों से शीघ्र परामर्श करेंगे।

अधिनियम का क्षेत्राधिकार बढ़ाते समय कुछ उद्योगों पर प्रत्यक्ष कारणों से यह विधि लागू नहीं की गई थी। यद्यपि उन उद्योगों में उस समय १०,००० या इससे भी अधिक लोग काम करते थे। क्योंकि उस समय उन पर एक और संकट आया हुआ था और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यदि हम उन पर भविष्य निधि अधिनियम लागू करते तो सम्भव था कि उससे बेकारी हो जाती और कई उपक्रम बंद हो जाते। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे सदैव के लिये छोड़ दिये गये हैं। वे निरन्तर सरकार के विचाराधीन रहेंगे और इस विधि के अन्तर्गत आने वाले किसी भी उपक्रम या कारखाने को छूट देने की कोई इच्छा नहीं है। परन्तु इस प्रकार की विधि शनैः-शनैः तथा सावधानीपूर्ण लागू करनी होगी क्योंकि हमें विधि इस तरह लागू नहीं करनी चाहिये कि वह व्यक्ति को सेवा से निवृति पाने पर लाभ देने के बजाये उसे तुरन्त ही उसके रोज़गार से हटा दे। और विशेष कर अब हमें बहुत ही सावधान रहना है क्योंकि इस संशोधन करने वाले विधेयक में उपबन्ध है कि ५० से अधिक व्यक्ति सेवायुक्त करने वाला कोई भी उपक्रम इसके अन्तर्गत आ सकता है। इतना ही नहीं। एक परन्तुक यह भी है कि यदि सरकार यह निश्चय करती है कि कुछ ५० से कम व्यक्ति रखने वाले भी इस उपक्रम विधि के अन्तर्गत आ सकते हैं तो इसके अन्तर्गत आ जायेंगे। अतः यह विनिश्चय करने में हमें इस मामले पर बहुत ही सावधानी से विचार करना होगा।

ऋणों के बारे में एक बात उठाई गई थी। मेरा अपना विचार यह है कि भविष्य निधि, जिसका उद्देश्य सेवा निवृत्ति के पश्चात या वृद्धावस्था में सरक्षा के निमित्त कुछ व्यवस्था करना है, वह यथा सम्भव

सुरक्षित रहनी चाहिये। हम नहीं चाहते कि मालिकों व मजदूरों द्वारा दिये गये अंशदानों में से उदारता-पूर्वक ऋण दिये जायें, क्योंकि लोग भविष्य निधि में संचित किये गये धन को व्यय कर देंगे और इस विधि का उद्देश्य जाता रहेगा। फिर भी, श्री तुषार चटर्जी जानते हैं कि गृह-निर्माण के लिये सम्पत्ति की प्राप्ति की सी कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ ऋण दिया जाता है परन्तु परिवार के दैनिक या साधारण व्यय के लिये यह ऋण नहीं दिया जा सकता। क्योंकि ऐसा करने से इसका उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

मैं समझता हूं कि सभा हमें इस विधि को किसी भी ऐसे उपक्रम पर लागू करने के लिये पर्याप्त अधिकार देगी जो इस विधि के अन्तर्गत लाये जाने के योग्य समझा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड २।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं संशोधन संख्या १ नहीं, २ प्रस्तुत करना चाहता हूं।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : यह स्वयं इस विधि में ही सम्मिलित है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह स्पष्टीकरण है और सड़क परिवहन तथा अन्तर्देशीय और सागर परिवहन को उपक्रमों में सम्मिलित करना चाहता है।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : यह उस संशोधन में आ जाता है जो संस्थापन शब्द के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है और परिवहन एक संस्थापन है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : तो मैं इसे प्रस्तुत नहीं करता।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह संशोधन संख्या ३ को प्रस्तुत कर रहे हैं ? नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ६ तक तथा खंड १ विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ से ६ तक और खंड १ विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

सभा का कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : २१ तारीख इस सत्र का अन्तिम निश्चित दिन है। असाधारण परिस्थितियों को छोड़ कर हम एक दिन के लिये भी सत्र नहीं बढ़ायेंगे। कदाचित हमें २२ तरीख को बैठना पड़ेगा।

अभी बहुत से विधेयक हैं और अनुदानों की मांगों पर भी विचार करना है। और हमारे पास अब लगभग ४० घंटे हैं तथा यदि हम शनिवार को न बैठें या प्रतिदिन एक घंटा अधिक न बैठें तो हम आवश्यक कार्य पूर्ण न कर सकेंगे। अतः कार्य मंत्रणा समिति ने सुझाव दिया है और मैं इससे सहमत हूं कि सोमवार से हम प्रतिदिन एक घंटा अधिक बैठेंगे और १५ तारीख वाले शनिवार को सभा की बैठक नहीं होगी।

†**श्री पुन्नूस** (आलप्पि) : राष्ट्रपति को केरल राज्य के बारे में अधिकार प्रदत्त करने के सम्बन्ध में एक विधेयक है। क्या उसका कोई समय निश्चित किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उसे अभी पुरःस्थापित नहीं किया गया है। हमने इसे भी विचाराधीन रखा है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : (खम्मम्) : खानों में सुरक्षितता सम्बन्धी विधान की जांच करने के लिये एक उच्च अधिकार प्राप्त आयोग की नियुक्ति का मेरा प्रस्ताव गृहीत हो गया है परन्तु उसके लिये कोई समय नियत नहीं किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इस पर बुधवार को कार्य मंत्रणा समिति में विचार करेंगे।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : यह सन्तोषजनक बात है कि आपने और कार्य मंत्रणा समिति ने शनिवार को न बैठने का विनिश्चय कर लिया है। परन्तु सरकार अपने कार्य के लिये समय में वृद्धि करने की प्रार्थना कर रही है। मुझे आशा है कि सरकार सभा में उचित गणपूर्ति रखने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सहमत हूं क्योंकि समस्त सरकारी कार्य के सम्बन्ध में सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उचित गणपूर्ति रखे। निश्चय ही सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिये तथा सरकारी कार्य के प्रभारी व्यक्तियों को यह ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि सभा में दिन में प्रतिक्षण पर्याप्त गणपूर्ति है।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, १० नवम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[शनिवार, ८ दिसम्बर, १९५६]

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव	८२९–३०

अध्यक्ष महोदय ने बुद्ध-जयन्ती समिति, सारनाथ की कथित अकर्मण्यता और उसके परिणामस्वरूप महाबोधि सभा, सारनाथ द्वारा उसके बहिष्कार के सम्बन्ध में श्री रा० न० सिंह द्वारा सूचित स्थगन प्रस्ताव को, उपशिक्षा मंत्री को इस सम्बन्ध में तथ्य पता करके सभा के समक्ष रखने के लिये कहकर प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

पारित विधेयक ... ८३१–७१

(१) उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) ने प्रस्ताव किया कि बाट तथा माप प्रमापीकरण विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ ।

(२) रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) ने प्रस्ताव किया कि सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित हुआ ।

(३) श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई) ने प्रस्ताव किया कि कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित हुआ ।

सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६ की कार्यसूची

भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार और उसे पारित किया जाना और विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में विचार ।

M48LSD—190—26-3-58—GIPF.